खण्ड–490, अंक–1
गुरुवार, 12 आषाढ़, शक संवत् 1936
(03 जुलाई, 2014 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा द्वितीय सत्र, 2014)

(खण्ड 490 में 03 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2014

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	1-11
उपस्थित सदस्य	12-18
प्रश्नोत्तर	19-57
प्रश्नों के तक्रसंगत एवं सुसंगत उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	57-58
जनपद मुजफ्फरनगर एवं शामली की मिल को चलवाने सम्बन्धी प्रकरण को लिये जाने का अनुरोध	58-59
प्रश्नों के तक्रसंगत एवं सुसंगत उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	59-61
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	61-62
कानपुर महानगर में गंगा किनारे स्थित जजेज कालोनी की जीर्ण-शीर्ण हालत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	62-63
जनपद फैजाबाद की करोड़ों की लागत से बनी दो बन्द पड़ी लघु डाल नहरों को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	63
जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर में व्याप्त विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	63-64
जनपद बलिया के ग्राम सभा पुर में चकबन्दी प्रक्रिया में की गयी अनियमितताओं को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	64
जनपद गोरखपुर से पिपराइच व कप्तानगंज मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64
जनपद चन्दौली के नरवन क्षेत्र के नरायनपुर पम्प कैनाल को चक्का बांध लिफ्ट जमनियां से सिंचाई हेतु पानी दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	65
जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम मारू खरगकला बांध बूढ़ी राप्ती ककरही गोहना बांध के निर्माण के दौरान किसानों की अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	65
नगर निगम लखनऊ द्वारा अपाहिज विधवा को वर्ष 2012 से पारिवारिक पेंशन का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	65-66
जनपद बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम रीगा के गाटा संख्या 161 रकबा 0.069 हे0 के भू-मालिक को बेदखल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	66

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अमेठी की तहसील गौरीगंज में ग्राम माधोपुर की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	66-67
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा की कतिपय गड्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	67
जनपद बस्ती के नगरपालिका क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाये जाने तथा शहर में पानी की निकासी हेतु समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	67
जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के विकास खण्ड भरखनी अन्तर्गत हथौड़ा से सेढ़पुल तक के क्षतिग्रस्त मार्ग के डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	68
जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर नगरपालिका परिषद् एवं लोक निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	68
जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र कस्ता में विद्युत सप्लाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	69
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	69
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	69-70
विधान सभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण उनसे सम्बन्धित समितियों की बैठक न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	70-71
दहेज उत्पीड़न में परिवार के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी से पीड़ितों को न्याय न मिलने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	72
जनपद मुजफ्फरनगर एवं शामली की मिल को चलवाने सम्बन्धी प्रकरण को लिये जाने का अनुरोध	72-73
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2013-2014) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	73
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित)	73-74
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	74-80
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) ...	80-81

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत)	81-82
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत) ...	82-83
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	83
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग (स्वीकृत)	83-84
कानपुर के बढ़ते हुए स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए कानपुर महानगर के दक्षिणी क्षेत्र को नया जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा का स्थगन ...	84
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	84-85
जनपद जालौन में वर्ष 1984 के दंगा पीड़ित परिवारों को पुनर्वास पैकेज एवं आर्थिक अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में श्री गयादीन अनुरागी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	85-86
जनपद इलाहाबाद में ग्राम सभा मेजा पारसनाथ के आराजी सं0-289 पर अवैध निर्माण रोके जाने के सम्बन्ध में श्री राजबली जैसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य ...	86-87
जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	87-88
जनपद बलिया की तहसील बिलथरा रोड, दोथ में चकरोड पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	88
जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत आने वाले विद्युत उपकेन्द्र द्वारा विद्युत आपूर्ति 4 घण्टे किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार द्वारा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य	88-89
जनपद रामपुर के तहसील विलासपुर में 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों को अतिभारित होने से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	89-90

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय, श्री — वाराणसी
6. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
7. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
8. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
9. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
10. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
11. अताउररहमान, श्री — बरेली
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
14. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
15. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
16. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
17. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
18. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
19. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
20. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
21. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
22. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
23. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
24. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
25. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
26. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
27. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
28. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
29. *अराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
30. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
31. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
32. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
33. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
34. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
35. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
36. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
37. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
38. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
39. अशफाक अली खां, श्री — अमरोहा
40. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
41. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
42. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
43. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
44. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
45. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
46. आशा किशोर, श्रीमती — अमेठी
47. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
48. आशीष यादव, श्री — बदायूं
49. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
50. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
51. इकबाल, श्री — बिजनौर
52. इकबाल महमूद, श्री — संभल
53. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
54. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
55. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
56. इन्द्रपाल सिंह, श्री — कानपुर देहात

---

* दिनांक 16 मई, 2014 को उपचुनाव में निर्वाचित

57.	इन्द्राणी देवी, श्रीमती	श्रावस्ती
58.	इरफान सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
59.	उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री	लखीमपुर खीरी
60.	उदयराज, श्री	उन्नाव
61.	उदय लाल मौर्या, श्री	वाराणसी
62.	उपेन्द्र तिवारी, श्री	बलिया
63.	उमाकान्ती, श्रीमती	जालौन
64.	उमाशंकर, श्री	बलिया
65.	उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
66.	ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
67.	ओम कुमार, श्री	बिजनौर
68.	ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
69.	ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री	जौनपुर
70.	ओम प्रकाश वर्मा, श्री	फिरोजाबाद
71.	कमाल अख्तर, श्री	अमरोहा
72.	कमाल युसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
73.	करतार सिंह भड़ाना, श्री	मुजफ्फरनगर
74.	काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
75.	काली चरन सुमन, श्री	आगरा
76.	कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
77.	कृष्ण कुमार ओझा, श्री	बहराइच
78.	कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री	झांसी
79.	कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
80.	कैलाश, श्री	गाजीपुर
81.	कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
82.	कौशल सिंह कुंवर, श्री	महराजगंज
83.	गंगा सिंह कुशवाहा, श्री	कुशीनगर
84.	गजराज सिंह, श्री	हापुड़
85.	गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
86.	गयाचरण दिनकर, श्री	बांदा
87.	गयादीन अनुरागी, श्री	हमीरपुर
88.	गायत्री प्रसाद, श्री	अमेठी
89.	गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
90.	गुटियारी लाल दुवेश, श्री	आगरा
91.	गुलाब चन्द, श्री	जौनपुर
92.	गुलाम मौहम्मद, श्री	मेरठ
93.	गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस
94.	गोमती यादव, श्री	लखनऊ
95.	गोरख पासवान, श्री	बलिया
96.	चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
97.	चन्द्रा रावत, श्रीमती	लखनऊ
98.	चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
99.	छोटेलाल वर्मा, श्री	आगरा
100.	जगतम्बा सिंह, श्री	मिर्जापुर
101.	जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
102.	जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
103.	जगपाल, श्री	सहारनपुर
104.	जगराम पासवान, श्री	बलरामपुर
105.	जन्मेजय सिंह, श्री	देवरिया
106.	जफर आलम, श्री	अलीगढ़
107.	जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
108.	जमीर उल्ला खां, श्री	अलीगढ़
109.	जमील अहमद कास्मी, श्री	मुजफ्फरनगर
110.	जय प्रकाश निषाद, श्री	गोरखपुर
111.	जय प्रकाश अंचल, श्री	बलिया
112.	जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
113.	जाकिर अली, श्री	गाजियाबाद
114.	जाहीद बेग, श्री	सन्तरविदास नगर (भदोही)
115.	जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
116.	जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
117.	ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती	वाराणसी
118.	तसलीम, श्री	बिजनौर
119.	तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री	फैजाबाद
120.	तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
121.	त्रिभुवन राम, श्री	वाराणसी
122.	त्रिलोकीराम, श्री	अलीगढ़
123.	दयाशंकर वर्मा, श्री	जालौन

124. दलजीत सिंह, श्री बांदा
125. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
126. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
127. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
128. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
129. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
130. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
131. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
132. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
133. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
134. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
135. धर्मराज, श्री बाराबंकी
136. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
137. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
138. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
139. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
140. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
141. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
142. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
143. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
144. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
145. नारद राय, श्री बलिया
146. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
147. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
148. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
149. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
150. *पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
151. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
152. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
153. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
154. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
155. पीतमराम, श्री पीलीभीत
156. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
157. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
158. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
159. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
160. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
161. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
162. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
163. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
164. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
165. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
166. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
167. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
168. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
169. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
170. फेरन लाल, श्री ललितपुर
171. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
172. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
173. बदलू खां, श्री उन्नाव
174. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
175. बाबू खां, श्री हरदोई
176. बाबूलाल, श्री गोण्डा
177. बावन सिंह, श्री गोण्डा
178. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
179. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
180. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
181. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
182. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
183. बैजनाथ, श्री मऊ
184. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
185. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
186. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
187. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
188. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
189. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर

* दिनांक 16 मई, 2014 को उपचुनाव में निर्वाचित

190. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
191. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
192. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
193. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
194. मनबोध, श्री देवरिया
195. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
196. मनीष रावत, श्री सीतापुर
197. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
198. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
199. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
200. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
201. महबूब अली, श्री अमरोहा
202. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
203. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
204. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
205. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
206. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
207. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
208. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
209. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
210. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
211. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
212. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
213. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
214. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
215. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
216. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
217. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
218. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
219. मूलचन्द्र चौहान, श्री बिजनौर
220. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
221. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
222. मो0 आसिफ जाफरी, सी0ए0 कौशाम्बी
223. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
224. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
225. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
226. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
227. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
228. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
229. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
230. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
231. यासर शाह, श्री बहराइच
232. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
233. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
234. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
235. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
236. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
237. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
238. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
239. रणजीत सुमन, श्री एटा
240. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
241. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
242. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
243. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
244. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
245. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
246. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
247. रवि शर्मा, श्री झांसी
248. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
249. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
250. *राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
251. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
252. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
253. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
254. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी

* दिनांक 16 मई, 2014 को उपचुनाव में निर्वाचित

255. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
256. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
257. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
258. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
259. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
260. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
261. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
262. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
263. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
264. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
265. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
266. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
267. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
268. राधे श्याम, श्री अमेठी
269. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
270. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
271. राम करन आर्य, श्री बस्ती
272. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
273. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
274. राम गोविन्द, श्री बलिया
275. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
276. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
277. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
278. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
279. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
280. राम मगन, श्री बाराबंकी
281. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
282. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
283. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
284. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
285. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
286. रामसरन, श्री लखीमपुर खीरी
287. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
288. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
289. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
290. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
291. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
292. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
293. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
294. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
295. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
296. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
297. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
298. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
299. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
300. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
301. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
302. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
303. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
304. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
305. *विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
306. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
307. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
308. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
309. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
310. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
311. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
312. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
313. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
314. विजय सिंह, श्री रामपुर
315. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
316. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
317. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
318. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
319. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा

* दिनांक 16 मई, 2014 को उपचुनाव में निर्वाचित

320. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
321. वीरपाल राठी, श्री बागपत
322. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
323. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
324. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
325. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
326. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
327. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
328. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
329. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
330. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
331. शाकिर अली, श्री देवरिया
332. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
333. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
334. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
335. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
336. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
337. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
338. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
339. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
340. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
341. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
342. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
343. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
344. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
345. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
346. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
347. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
348. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
349. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
350. संजय कपूर, श्री रामपुर
351. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
352. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
353. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
354. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
355. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
356. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
357. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
358. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
359. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
360. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
361. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
362. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
363. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
364. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
365. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
366. सियाराम सागर, डा0 बरेली
367. सीमा, श्रीमती जौनपुर
368. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
369. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
370. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
371. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
372. सुधाकर, श्री मऊ
373. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
374. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
375. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
376. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
377. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
378. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
379. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
380. सुरेश राणा, श्री शामली
381. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
382. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
383. सुल्तान बेग, श्री बरेली
384. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
385. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
386. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर

387.	सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	
388.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर	
389.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी	
390.	हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद	
391.	हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत	
392.	हेमलता चौधरी, श्रीमती	बागपत	
*393.	रिक्त	गौतमबुद्ध नगर	
**394.	रिक्त	शामली	
***395.	रिक्त	लखनऊ	
****396.	रिक्त	खीरी	
*****397.	रिक्त	बहराइच	
******398.	रिक्त	वाराणसी	
*******399.	रिक्त	महोबा	
********400.	रिक्त	कौशाम्बी	
*********401.	रिक्त	हमीरपुर	
**********402.	रिक्त	बिजनौर	
***********403.	रिक्त	सहारनपुर	
************404.	रिक्त	मुरादाबाद	

* डा0 महेश शर्मा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-61 नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर द्वारा दिनांक 22 मई, 2014 के अपराह्न में त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।

** श्री हुकुम सिंह निर्वाचन क्षेत्र संख्या-08 कैराना, जिला शामली द्वारा दिनांक 23 मई, 2014 के अपराह्न में त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।

*** श्री कलराज मिश्र निर्वाचन क्षेत्र संख्या-173 लखनऊ पूर्व, जिला लखनऊ द्वारा दिनांक 26 मई, 2014 के पूर्वाह्न में त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।

**** श्री अजय मिश्र 'टेनी' निर्वाचन क्षेत्र संख्या-138 निघासन, जिला खीरी द्वारा दिनांक 27 मई, 2014 के अपराह्न में त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।

***** सुश्री सावित्री बाई फूले निर्वाचन क्षेत्र संख्या-282 बलहा, जिला बहराइच द्वारा दिनांक 28 मई, 2014 के अपराह्न में त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।

******श्रीमती अनुप्रिया पटेल निर्वाचन क्षेत्र संख्या-387 रोहनिया, जिला वाराणसी द्वारा दिनांक 29 मई, 2014 के अपराह्न में त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।

*******श्रीमती उमा भारती निर्वाचन क्षेत्र संख्या-231 चरखारी, जिला महोबा द्वारा दिनांक 28 मई, 2014 के अपराह्न में त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।

********श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या-251 सिराथू, जिला कौशाम्बी द्वारा दिनांक 29 मई, 2014 के अपराह्न में त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।

*********साध्वी निरंजन ज्योति निर्वाचन क्षेत्र संख्या-228 हमीरपुर, जिला हमीरपुर द्वारा दिनांक 29 मई, 2014 के पूर्वाह्न में त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।

**********कुंवर भारतेन्द्र निर्वाचन क्षेत्र संख्या-22 बिजनौर, जिला बिजनौर द्वारा दिनांक 29 मई, 2014 के अपराह्न में त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।

***********श्री राघव लखनपाल निर्वाचन क्षेत्र संख्या-03 सहारनपुर नगर, जिला सहारनपुर द्वारा दिनांक 29 मई, 2014 के अपराह्न में त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।

************कुंवर सर्वेश कुमार निर्वाचन क्षेत्र संख्या-26 ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद द्वारा दिनांक 29 मई, 2014 के अपराह्न में त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप।

महामहिम राज्यपाल

श्री राम नाइक

मंत्रि-परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री अखिलेश यादव मुख्य मंत्री	सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतक्रता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त, संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन (व्यापार कर), न्याय, विधायी, नियोजन, अर्थ एवं संख्या, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, आबकारी, मद्य निषेध, ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा, औद्योगिक विकास, वन, जन्तु उद्यान, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर भूमि, गन्ना विकास, चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, पर्यावरण, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, मनोरंजन कर, उच्च शिक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आयुष, अवस्थापना, समन्वय, भाषा, कृषि, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात, कृषि विपणन, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम्य विकास, बाल विकास एवं पुष्टाहार, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, खेल एवं युवा कल्याण।
2	श्री मो0 आजम खाँ	संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज।
3	श्री शिवपाल सिंह यादव	लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास विभाग, राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन।
4	श्री अहमद हसन	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण।
5	श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन, नागरिक सुरक्षा।
6	श्री अम्बिका चौधरी	पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण।
7	श्री बलराम यादव	कारागार
8	श्री अवधेश प्रसाद	समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण।

1	2	3
9	श्री ओम प्रकाश सिंह	पर्यटन
10	श्री पारस नाथ यादव	उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण
11	श्री रामगोविन्द चौधरी	बेसिक शिक्षा
12	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	परिवहन
13	श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी	होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल
14	श्री राजकिशोर सिंह	लघु सिंचाई तथा पशुधन
15	श्री शिव कुमार बेरिया	वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग
16	श्री राजेन्द्र चौधरी	राजनैतिक पेंशन
17	श्री नारद राय	खादी एवं ग्रामोद्योग
18	श्री कैलाश	पंचायती राज
19	श्री राममूर्ति वर्मा	दुग्ध विकास
20	श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया	खाद्य एवं रसद
21	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
22	श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति	भू-तत्व एवं खनिकर्म
23	प्रो0 शिवाकान्त ओझा	प्राविधिक शिक्षा
24	श्री इकबाल महमूद	मत्स्य एवं सार्वजनिक उद्यम
25	श्री महबूब अली	माध्यमिक शिक्षा
26	श्री शाहिद मंजूर	श्रम एवं सेवायोजन

राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री राजेन्द्र सिंह राणा	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
2	श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप	ग्राम्य विकास
3	श्री भगवत शरण गंगवार	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन
4	श्रीमती अरूण कुमारी कोरी	महिला कल्याण, संस्कृति
5	श्री विजय कुमार मिश्र	धर्मार्थ कार्य

राज्य मंत्री

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री रियाज अहमद	खादी एवं ग्रामोद्योग
2	श्री फरीद महफूज किदवई	वन, खेल एवं युवा कल्याण
3	श्री वसीम अहमद	बाल विकास, पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा
4	डा0 शिव प्रताप यादव	जन्तु उद्यान

1	2	3
5	श्री मूलचन्द्र चौहान	पर्यटन
6	श्री राजीव कुमार सिंह	कृषि (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर), कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान व धर्मार्थ कार्य।
7	श्री अभिषेक मिश्रा	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
8	श्री नरेन्द्र वर्मा	समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण व सैनिक कल्याण।
9	श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल	लोक निर्माण एवं सिंचाई
10	श्री चितरंजन स्वरूप	संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति व नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज।
11	श्री मानपाल सिंह	परिवहन
12	श्री कमाल अख्तर	पंचायती राज
13	श्री शंखलाल मांझी	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण।
14	श्री कैलाश चौरसिया	बाल विकास एवं पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा।
15	श्री रामपाल राजवंशी	कारागार
16	श्री रामकरन आर्य	वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम्य विकास, खेल एवं युवा कल्याण।
17	श्री जगदीश सोनकर	भूमि विकास, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास।
18	श्री राममूर्ती सिंह वर्मा	पिछड़ा वर्ग कल्याण
19	श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह	माध्यमिक शिक्षा
20	श्री विजय बहादुर पाल	माध्यमिक शिक्षा
21	श्री आलोक कुमार शाक्य	प्राविधिक शिक्षा
22	श्री राम सकल गूजर	प्राविधिक शिक्षा
23	श्री नितिन अग्रवाल	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
24	श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'	बेसिक शिक्षा
25	श्री यासर शाह	ऊर्जा

नेता विरोधी दल

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री माता प्रसाद पाण्डेय

उपाध्यक्ष

रिक्त

प्रमुख सचिव

श्री प्रदीप कुमार दूबे

अधिष्ठाता मण्डल (2013-2014)

1-श्री मित्रसेन यादव, सदस्य, विधान सभा (फैजाबाद)

2-श्री मदन चौहान, सदस्य, विधान सभा (गाजियाबाद)

3-श्री अनूप सण्डा, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर)

4-श्रीमती शादाब फातिमा, सदस्य, विधान सभा (गाजीपुर)

5-श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा (बलिया)

6-श्री उदयराज, सदस्य, विधान सभा (उन्नाव)

7-डा0 धर्म सिंह सैनी, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर)

8-श्री राजबली जैसल, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)

9-श्री सुरेश कुमार खन्ना, सदस्य, विधान सभा (शाहजहांपुर)

10-श्री अनुग्रह नारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 03 जुलाई, 2014

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-332

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
6. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
7. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
8. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
9. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
10. अताउररहमान, श्री — बरेली
11. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
13. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
17. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
19. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
20. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
21. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
22. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
23. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
24. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
25. अराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
26. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
27. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
28. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
29. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
30. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
31. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
32. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
33. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
34. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
35. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
36. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
37. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
38. आशा किशोर, श्रीमती — अमेठी
39. आशीष यादव, श्री — बदायूं
40. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
41. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
42. इकबाल महमूद, श्री — संभल
43. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
44. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
45. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
46. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
47. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
48. उदयराज, श्री — उन्नाव
49. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी
50. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया

51. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
52. उमाशंकर, श्री बलिया
53. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
54. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
55. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
56. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
57. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
58. काली चरन सुमन, श्री आगरा
59. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
60. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
61. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
62. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
63. कैलाश, श्री गाजीपुर
64. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
65. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
66. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
67. गजराज सिंह, श्री हापुड़
68. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
69. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
70. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
71. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
72. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
73. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
74. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
75. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
76. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
77. गोमती यादव, श्री लखनऊ
78. गोरख पासवान, श्री बलिया
79. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
80. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
81. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
82. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
83. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
84. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
85. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
86. जगपाल, श्री सहारनपुर
87. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
88. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
89. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
90. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
91. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
92. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
93. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
94. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
95. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
96. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
97. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
98. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
99. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
100. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
101. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
102. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
103. दलजीत सिंह, श्री बांदा
104. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
105. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
106. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
107. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
108. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
109. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
110. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
111. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली

112. धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
113. धर्मपाल सिंह, डा0 — आगरा
114. धर्मराज, श्री — बाराबंकी
115. धर्मसिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
116. धर्मेश सिंह तोमर, श्री — हापुड़
117. नजीवा खान जीनत, श्रीमती — कासगंज
118. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती — गोण्डा
119. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
120. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
121. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री — प्रतापगढ़
122. नारद राय, श्री — बलिया
123. नितिन अग्रवाल, श्री — हरदोई
124. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री — शाहजहांपुर
125. पंकज कुमार मलिक, श्री — शामली
126. पंकज गुप्ता, श्री — उन्नाव
127. पारस नाथ यादव, श्री — जौनपुर
128. पिंकी सिंह, श्रीमती — संभल
129. पीटर फैन्थम, श्री — नाम-निर्देशित
130. पीतमराम, श्री — पीलीभीत
131. पूजा पाल, श्रीमती — इलाहाबाद
132. पूनम सोनकर, श्रीमती — चन्दौली
133. पूरन प्रकाश, श्री — मथुरा
134. पूर्णमासी देहाती, श्री — कुशीनगर
135. प्रदीप चौधरी, श्री — सहारनपुर
136. प्रदीप कुमार यादव, श्री — औरैया
137. प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
138. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री — मेरठ
139. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री — औरैया
140. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री — इलाहाबाद
141. फतेह बहादुर, श्री — गोरखपुर
142. फरीद महफूज किदवई, श्री — बाराबंकी
143. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती — देवरिया
144. फेरन लाल, श्री — ललितपुर
145. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री — बुलन्दशहर
146. बजरंग बहादुर सिंह, श्री — महराजगंज
147. बदलू खां, श्री — उन्नाव
148. बब्बन सिंह चौहान, श्री — चन्दौली
149. बाबू खां, श्री — हरदोई
150. बाबूलाल, श्री — गोण्डा
151. बावन सिंह, श्री — गोण्डा
152. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती — बुलन्दशहर
153. बृजेश कठेरिया, इंजी0 — मैनपुरी
154. बृजेश कुमार, श्री — हरदोई
155. बेचई सरोज, श्री — आजमगढ़
156. बैजनाथ, श्री — मऊ
157. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री — कुशीनगर
158. भगवत सरन गंगवार, श्री — बरेली
159. भगवती प्रसाद, श्री — अलीगढ़
160. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री — आगरा
161. भाई लाल कोल, श्री — मिर्जापुर
162. भीम प्रसाद सोनकर, श्री — अम्बेडकरनगर
163. मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
164. मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
165. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री — औरैया
166. मधुबाला, श्रीमती — सन्त रविदास नगर (भदोही)
167. मनबोध, श्री — देवरिया
168. मनीष असीजा, श्री — फिरोजाबाद
169. मनीष रावत, श्री — सीतापुर
170. मनोज कुमार, श्री — चन्दौली
171. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री — रायबरेली
172. मनोज कुमार पारस, श्री — बिजनौर
173. ममतेश शाक्य, श्री — कासगंज
174. महबूब अली, श्री — अमरोहा
175. महावीर सिंह, कुं0 — हरदोई
176. महावीर सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
177. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा — आगरा

178. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
179. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
180. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
181. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
182. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
183. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
184. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
185. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
186. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
187. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
188. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
189. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
190. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
191. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
192. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
193. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
194. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
195. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
196. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
197. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
198. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
199. यासर शाह, श्री बहराइच
200. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
201. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
202. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
203. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
204. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
205. रणजीत सुमन, श्री एटा
206. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
207. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
208. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
209. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
210. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
211. रवि शर्मा, श्री झांसी
212. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
213. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
214. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
215. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
216. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
217. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
218. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
219. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
220. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
221. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
222. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
223. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
224. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
225. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
226. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
227. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
228. राधे श्याम, श्री अमेठी
229. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
230. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
231. राम करन आर्य, श्री बस्ती
232. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
233. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
234. राम गोविन्द, श्री बलिया
235. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
236. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
237. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
238. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
239. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
240. राम मगन, श्री बाराबंकी
241. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
242. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली

243. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
244. रामसरन, श्री लखीमपुर खीरी
245. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
246. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
247. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
248. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
249. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
250. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
251. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
252. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
253. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
254. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
255. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
256. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
257. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
258. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
259. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
260. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
261. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
262. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
263. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
264. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
265. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
266. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
267. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
268. विजय सिंह, श्री रामपुर
269. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
270. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
271. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
272. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
273. वीरपाल राठी, श्री बागपत
274. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
275. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
276. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
277. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
278. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
279. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
280. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
281. शाकिर अली, श्री देवरिया
282. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
283. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
284. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
285. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
286. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
287. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्रीमहाराजगंज
288. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
289. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
290. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
291. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
292. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
293. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
294. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
295. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
296. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
297. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
298. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
299. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
300. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
301. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
302. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
303. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
304. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर

305. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
306. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
307. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
308. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
309. सियाराम सागर, डा0 बरेली
310. सीमा, श्रीमती जौनपुर
311. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
312. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
313. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
314. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
315. सुधाकर, श्री मऊ
316. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
317. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
318. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
319. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
320. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
321. सुरेश राणा, श्री शामली
322. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
323. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
324. सुल्तान बेग, श्री बरेली
325. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
326. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
327. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
328. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
329. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
330. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
331. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
332. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद आगरा व दिल्ली में किये गये निवेशक सम्मेलन के आयोजन में प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में

*01-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12 जून, 2014 को नई दिल्ली में निवेशकों का एक सम्मलेन आयोजित किया गया था ? यदि हां, तो उसमें देश एवं विदेश के कुल कितने निवेशकों ने भाग लिया और कुल कितने करोड़ रुपये के सहमति-पत्र (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर किये गये हैं ? क्या यह सही है कि इसी तरह का एक निवेशक सम्मेलन गत वर्ष भी आयोजित किया गया था ? यदि हां, तो उसमें सहमति-पत्र के आधार पर किये जाने वाले निवेश की स्थिति क्या है और क्या उनका कार्यान्वयन किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी हां।

'इन्वेस्टर्स कान्क्लेव' में 150 से अधिक निवेशक कम्पनियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कान्क्लेव में लगभग रु0 42,000 करोड़ के पूंजी निवेश के सहमति-पत्र हस्ताक्षरित हुए। इसके अतिरिक्त, उक्त कान्क्लेव में रु0 12,000 करोड़ के पूंजी निवेश के अन्य प्राप्त प्रस्तावों पर भी विचार किया गया।

जी नहीं।

वस्तुतः 'ग्लोबल पार्टनरशिप सम्मिट-2013' का आयोजन आगरा में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, 'कंफेडरेशन आफ इण्डियन इण्डस्ट्री' के सहयोग से 27-29 जनवरी, 2013 के मध्य आगरा में किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'पार्टनर स्टेंट' के रूप में प्रतिभाग किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

27-29 जनवरी, 2013 में आयोजित 'ग्लोबल पार्टनरशिप सम्मिट-2013' के दौरान कोई एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। इस आयोजन में केवल प्रदेश सरकार की नीतियों से निवेशकों को अवगत कराया गया था।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ये निवेशकों का सम्मेलन कान्क्लेव 2014 दिल्ली में हुआ। इसमें भाग लेने वाले निवेशक कितने देशी और कितने विदेश के निवेशक थे और कितना-कितना निवेश करने का लक्ष्य उनके द्वारा दिया गया है और उसके

बदले में सरकार उनको क्या सुविधायें प्रदान करेगी जिससे कि उनके द्वारा दिये गये लक्ष्य का उपयोग हो सके। मैं मा0 मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)-

12-06-2014 को आयोजित कार्यक्रम में 700 निवेशकों एवं प्रबुद्ध उद्यमियों के साथ 10 देशों के राजदूतों को आमंत्रित किया गया था। कान्क्लेव में 250 से अधिक निवेशकों तथा प्रबुद्ध उद्यमियों द्वारा प्रतिभाग किया गया जिसमें 07 देशों के दूतावासों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया था।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मैंने जो प्रश्न पूछा था कि इन निवेशकों ने निवेश करने का लक्ष्य क्या रखा है ? मा0 मंत्री जी ने यह तो बता दिया कि इतने तो देशी निवेशक थे और 07 देशों के राजदूत भी उसमें उपस्थित थे। उनके सामने कार्यवाही हुई शायद भविष्य के लिए उनको प्रेरणा मिलेगी कि वे निवेश करने का हिन्दुस्तान में या उत्तर प्रदेश में लक्ष्य बनायें। मैंने पूछा था कि कितना-कितना निवेश करने का लक्ष्य और कौन-कौन उद्योगपति थे जिन्होंने इस सम्बन्ध में अपना आश्वासन दिया या एम0ओ0यू0 साइन किया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

लक्ष्य यही है कि निवेशकों का पैसा उत्तर प्रदेश में आये और यहां की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, विकास हो, लोगों को काम मिले, खुशहाली हो, महंगाई पर अंकुश लगाया जा सके और जनता को ठगा न जा सके। जो कुछ कहा है वह सच है। धोखा नहीं दे रहे हैं, झूठ बोलकर और सुनहरे सपने दिखाकर, जादुई सपने दिखाकर, प्याज का दाम बढ़ाकर, दाल का दाम बढ़ाकर, सब्जियों के बढ़ाकर, बिजली का बढ़ाकर, रेल का बढ़ाकर धोखा नहीं दे रहे हैं। मान्यवर जो करार हुआ है उसका लक्ष्य यही है कि जनता में खुशहाली आये, यही लक्ष्य है कि जनता में खुशहाली आये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष जी, आप हमको संरक्षण प्रदान कीजिये। मेरे प्रश्न का उत्तर ये नहीं है और अगर सुनहरे सपने की बात मा0 मंत्री जी कर रहे हैं तो बेराजगारों को सुनहरा सपना दिखाकर यह सरकार जो सत्ता में आयी थी। किसानों को कर्जा माफ करने का सुनहरा सपना दिखाकर यह सरकार सत्ता में आयी थी। क्या किया इन्होंने यह बताने का कष्ट करें सदन को, 1650 करोड़ रुपये किसानों का बकाया है, नहीं कर्जा माफी कर पाये, बेरोजगारों का इनसे भ्रम दूर हो गया, बेरोजगारों ने वोट हमको कर दिया। इसलिए उसका बेरोजगारी भत्ता बन्द कर दिया, लैपटाप बन्द कर दिया। मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवायें।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न तो करिये ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने प्रश्न तो किया था, उत्तर जो आया वह गलत है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं मान्यवर, जितना प्रश्न हो गया है, पहले उसका उत्तर तो हो जाये, पहले लैपटाप का और बेरोजगारी के भत्ते का इसका उत्तर आ जाये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर पहले मुझे दिलाइये।

(दोनों मा0 सदस्यों के एक साथ अपनी बात रखने से सदन में शोर की स्थिति)

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं पहले अभी जो आपने प्रश्न किया है उसका उत्तर तो लीजिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

ये तो प्रश्न मैंने बाद में किया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हमारी सरकार और हमारे मुख्य मंत्री का ये तरीका नहीं है कि कहें कुछ और करें कुछ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर तो आने दीजिये, आपका कृपापूर्ण संरक्षण चाहिए मान्यवर।

श्री मोहम्मद आजम खां-

पहले लैपटाप का उत्तर तो ले लीजिए, महंगाई भत्ते का उत्तर तो ले लीजिए। पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां का उत्तर तो ले लीजिए, यह सब आपने बन्द कराया है, यह सब श्रेय आपको जाता है, लैपटाप बन्द हुआ आपकी वजह से, बेरोजगारी भत्ता बन्द हुआ आपकी वजह से, गरीबों के मुंह से रोटी छीनी आपने, बच्चियों का वजीफा रुका आपकी वजह से, आपकी वजह से हुई यह गरीबों की बर्बादी, आपने सुनहरे सपने दिखाये। आपने सुनहरे सपने दिखाये और फिर यह कह दिया कि 5 साल तक महंगाई के बारे में कोई कुछ मत कहो। 5 साल तक कोई कुछ मत कहो, मंत्री कहते हैं कि जादू का डण्डा नहीं है हमारे पास कि महंगाई खत्म कर देंगे, हमारे पास धोखे का डण्डा नहीं है, सच्चाई का झण्डा है। धोखे का डण्डा नहीं, सच्चाई का झण्डा है। (मेंजो की थपथपाहट)।

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि लैपटाप हमारी वजह से बंद कर दिया। अगर हमारी वजह से सारा कुछ बंद करना है तो मान्यवर, ये वहां पर बैठकर क्या कर रहे हैं मान्यवर, अगर विपक्ष के नाते से हम कोई सुझाव देते हैं जनहित का तो ये स्वीकार नहीं करते (मेंजो की थपथपाहट) और इनको लगता है कि कोई जनहित की बात है तो यह हमारे कहने से बंद कर देंगे, हमारे कहने से यह लैपटाप बंद कर देंगे, हमारे कहने से यह भत्ता बंद कर देंगे, हमारे कहने से यह प्रदेश को बिजली नहीं देंगे। हमारे कहने से यह प्रदेश का लॉ एण्ड आर्डर ठीक नहीं करेंगे, हमारे कहने से मान्यवर, ये उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष-

इसमें आप अनुपूरक पूछो ना।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं उद्योगों के ऊपर ही आ रहा हूं। मान्यवर, हमारे कहने पर ये उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे, हमारे कहने पर ये बिजली नहीं देंगे पूरी, हमारे कहने पर ये लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था

ठीक नहीं करेंगे, जिसको जनहित की बात कहते हैं, हमारे कहने पर यह उसे बंद कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि जो प्रश्न हमारे मा0 सदस्य ने किया था, उसका उत्तर दिया जाये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

पहले महाना जी का प्रश्न सामने आया है, पहले हम उसका उत्तर दे दें, वह इनकी पार्टी के लीडर हैं, महाना जी के प्रश्न का उत्तर भी समाज के सामने आना चाहिए। ये पिछड़ी बच्ची को दलित बताते हैं, पूरे देश में बिजली देंगे नहीं, कोयला देंगे नहीं मान्यवर, और इनका यह कहना कि हमने जो कहा वो बंद कर दिया अरे आपके कहने से तो हम सदन बन्द कर देते हैं। आप नहीं चाहते तो सदन नहीं चलता किसकी वजह से बंद हुआ महंगाई भत्ता आपकी वजह से, लैपटाप आपकी वजह से, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, (समोसा और पूड़ी महंगी हो गयी। वाजपेई की पूड़ी महंगी हो गयी, श्री अखिलेश यादव के द्वारा कहा गया) समोसा और पूड़ी भी महंगी हो गयी है, अरे जिन्दगी महंगी हो गयी है। मान्यवर, जिन्दगी महंगी हो गयी है। ठग लिया, ठग लिया मान्यवर, इन्होंने 125 करोड़ के हिन्दुस्तान को ठग लिया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, उस सवाल का उत्तर दिलवा दीजिए। बात खत्म हो जाये, सवाल उनका यह है कि उसमें कितने एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर हुए। इसका जवाब तो दिलाइये।

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, ये दुराचार करके जो बेटियां पेड़ के ऊपर टांग दी जाती हैं, मान्यवर, उसकी जाति देखने का काम करते हैं। मान्यवर, उसकी जाति देखने का काम करते हैं। मरने वाली बेटी बेटी है, वह न दलित है, न पिछड़ी है मान्यवर, उसकी जाति नहीं देखी जाती मान्यवर।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं मान्यवर, ये भी इन्होंने ही टांगी है। इनका षडयंत्र है मान्यवर। ये सब षडयंत्र है मान्यवर, सी0बी0आई0 जांच हो रही, आप सब देखेंगे सच सामने आयेगा। आप देखेंगे कि अस्थिरता पैदा करने के लिए [xxx] कायम करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार को [xxx] बताने के लिए इन्होंने ये सारा पाप और अनर्थ किया है। जो [xxx] विधान सभा के दरवाजे पर हुई। वही चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में हो। [xxx]

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने बता तो दिया जो आप बयालिस हजार करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, अधूरा उत्तर आया है किस-किस निवेशक ने किस-किस उद्योग के लिए एम0ओ0यू0 साइन किया है वह बता दें।

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

वह सामूहिक रूप से बता रहे हैं कि बयालिस हजार करोड़ रुपये का निवेश होने का जिक्र किया है।

श्री राममूर्ति वर्मा-

श्रीमन् यह बीस निवेशकों ने बाइस एम0ओ0यू0 पर साइन किया है। इसमें मेसर्स एज्योर पावर इण्डिया प्रा0लि0 ने सोलर पावर प्लाण्ट के लिए आठ सौ करोड़ रुपये का, मेसर्स डंकन गोयनका ग्रुप ने पेपर इकाई के आधुनिकीकरण के लिए अस्सी करोड़ रुपये का, मेसर्स फोर्टिस हेल्थकेयर लि0 ने इलाहाबाद में 250 बेड हास्पिटल के लिए 250 करोड़ रुपये का, लखनऊ और कानपुर में सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल और इसी फर्म ने ग्रेटर नोयडा में सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल एवं पैरा मेडिकल कालेज के लिए 350 करोड़ रुपये का, मेसर्स जे0वी0एल0 एग्रो0 इण्डस्ट्रीज लि0 ने वाराणसी में वेजिटेबिल रिफाइनरी इण्डस्ट्रीज के लिए 200 करोड़ रुपये का और चन्दौली में इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप के लिए 2000 करोड़ रुपये का एम0ओ0यू0 साइन किया है। यह पूरी सूची है।

श्री अध्यक्ष-

आप यह सूची बाजपेयी जी को उपलब्ध करा दीजिएगा।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, जो एम0ओ0यू0 साइन हुए हैं उसमें पूर्वांचल के लिए भी कोई है, अगर नहीं है तो क्या अगली सम्मिट में वहां भी कोई उद्योग लगवाने पर विचार करेंगे।

श्री राममूर्ति वर्मा-

मान्यवर, इसमें कहीं पर भी पूर्वांचल या पश्चिमांचल की बात नहीं है। पूरे प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाये हैं। हम बाजपेयी जी को सूची भिजवा देंगे।

श्री गुटियारी लाल दुवेश-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए गम्भीन हैं। पहले आगरा में सम्मिट हुई फिर दिल्ली में सम्मिट हुई। मान्यवर, जो हमारे यहां का लेदर का कम्पोनेण्ट है और कच्चे शूज का कम्पोनेण्ट है वह बड़ी मात्रा में बाहर जाता है। क्या उस पर रोक लगाने पर विचार करेंगे। मान्यवर, मैं गुड्स लेदर की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

जब उद्योग विभाग के बजट पर चर्चा होगी तो बोल लीजिएगा।

श्री उमेश पाण्डेय-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन निवेशकों ने किन-किन क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष-

यह तो बता दिया उन्होंने और सूची वह बाजपेयी जी को भिजवा रहे हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, अगर यह सारे एम0ओ0यू0 जमीनी धरातल पर आ जायें, तो अच्छा कदम हो सकता है, तो जो पंचवर्षीय योजना में जो उद्योगों में निवेश का भारी लक्ष्य निर्धारित है वह पूरा हो सकता है। लेकिन सब पूरे प्रदेश का संतुलित विकास हो उत्तर प्रदेश के विकास का यह दुर्भाग्य है कि इसमें विसंगतियां हैं। 80 प्रतिशत 85 प्रतिशत उद्योग 2 जनपदों में सीमित हैं। सरकार जब इस प्रकार से निवेशकों को बुलाती है तो सरकार उसमें अपनी पैकेजिंग करती है अपनी मार्केटिंग करती है और सरकार अपनी क्षमताओं को निवेशकों के सामने रखती है और कहती है कि हम यह कर सकते हैं। अब यह कहकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर उद्योग नहीं आये तो इसमें जिम्मेदार उपभोक्ता नहीं होगा। सरकार को मार्केटिंग करते समय और पैकेजिंग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पूरे प्रदेश में विभिन्न-विभिन्न इलाकों में जहां-जहां जो सम्भावनाएं हैं उनको इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने रखें जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में उद्योग लग सकें। क्या सरकार ने जो पैकेजिंग की थी उसमें पूर्वांचल में उद्योग लगाने की बात इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने रखी थी यदि नहीं रखी थी तो क्या सरकार अगली जब कोई इन्क्लेव करेगी तो विभिन्न क्षेत्रों में जो सम्भावनाएं बनती हैं उनको अलग से इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने रखने का प्रयास करेगी, मेरा बहुत स्पष्ट प्रश्न है।

श्री राममूर्ति वर्मा-

मान्यवर, हमारी जो बैठक हुई थी जिसमें वाराणसी में वेजिटेबिल रिफाइनरी इण्डस्ट्रीज के लिए 200 करोड़ का पूंजीनिवेश प्रस्तावित है, चन्दौली में इंट्रीग्रेटेड टाउनशिप के लिए 2000 करोड़ का पूंजीनिवेश प्रस्तावित है, इलाहाबाद में सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल के लिए 250 करोड़ का पूंजीनिवेश प्रस्तावित है, इसी तरह से लखनऊ में है कानपुर में है। पूरे प्रदेश में है। इसमें व्यापक रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी की नीतियों का असर हो रहा है।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, माननीय सदस्य जानते होंगे जब नेता जी की सरकार बनी थी और उस समय जो इन्सेटिव हम लोग इण्डस्ट्रीज को दे रहे थे उसकी वजह से गोरखपुर और आस-पास के क्षेत्रों में चीनी मिल लगना शुरू हो गयी थी। मान्यवर, जिस किसी ने जमीन नहीं दी है वह माननीय सदस्य जानते होंगे कि वह किस दल के हैं। तो जहां तक पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का या किसी हिस्से का मामला है सरकार की कोशिश है कि इण्डस्ट्री आये डेवलपमेण्ट हो, इनवेस्टमेण्ट आये, किसी भी हिस्से में हो उत्तर प्रदेश में हम उनकी मदद करेंगे, बढ़ावा देंगे। अब मान लीजिए 4 जी का काम चल रहा है तो केवल लखनऊ में क्यों चल रहा है, 2 जी 3 जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आया था तो जीजा जी कह रहे थे और इन्होंने कभी यह नहीं कहा कि 2 जी लखनऊ में चल रहा है उसके माध्यम से इनवेस्टमेण्ट भी है और बड़े पैमाने पर नौकरियां भी मिलेंगी देश में अगर कहीं सबसे तेज काम चल रहा है 4 जी का तो वह लखनऊ में चल रहा है। इसके साथ जगह-जगह, अलग-अलग इनवेस्टमेण्ट आ रहा है। हमारा यह मानना है सरकार का कि लगातार इसी तरह का प्रयास करना पड़ेगा। जो माननीय सदस्य ने कहा अग्रवाल जी ने कि पैकेजिंग, मार्केटिंग और

जगह-जगह हमें जाना पड़ेगा उसका एक कार्यक्रम बनाया है सरकार ने, कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में इनवेस्टमेण्ट बढ़े। मान लीजिए हमने सरकार बचाई कांग्रेस की जो न्यूक्लियर डील का मामला था माननीय सदस्य जिनकी सरकार बच गयी न्यूक्लियर पावर डील से हमको कितनी बिजली मिली और कब तक मिलेगी वह माननीय सदस्य कांग्रेस के है वह बता पायेंगे लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में कब तक बिजली मिलेगी वह बता दे प्रदेश का कोटा कब तक बढ़ेगा। बिना बिजली के बहुत सारे कारखाने नहीं आयेंगे। हमारी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेण्ट बढ़ाया है तो बात लम्बी हो जायेगी इसलिए लम्बी बात न करता हुआ इतना ही कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेण्ट आ रहा है और मैं समझता हूं कि जो सरकार की पालिसी है, उसके तहत बहुत सारा इन्वेस्टमेण्ट उत्तर प्रदेश में आयेगा।

[नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने एवं डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अनुरोध करने पर]

श्री अध्यक्ष-

अब बाजपेयी जी खत्म, अब हो गया, आप बैठ जायें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है, आप हम लोंगों को एक कापी भिजवा दें। उस पर भारतीय जनता पार्टी पूरा सहयोग करेगी, 73 सांसद हमारे भी जीते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब बहुत हो गया, 20 मिनट इस प्रश्न को हो गये हैं। बाजपेयी जी आपको सूची मिल जायेगी। बाजपेयी जी बहुत सवाल इस पर हो गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, यह 73 सांसदों का जो घमण्ड है, इस घमण्ड से देखो, कीमतें कहां गयीं। माननीय मुख्य मंत्री जी जानना चाहते हैं कि आप कोयला कब तक देंगे और यह जो बाजपेयी कचौड़ी-पूड़ी थी, यह 10 रुपये की कर दी आपने। बाजपेयी जी के नाम का भी आपने कोई सम्मान नहीं किया, बाजपेयी कचौड़ी भी हो गयी 10 रुपये की। कहां ले जाओगे महंगाई, प्याज चाहिए, आलू चाहिए, चीनी चाहिए, बिजली चाहिए, रेल का किराया कम चाहिए। 5 साल का धोखा नहीं। आप कह रहे हैं कि 5 साल बाद महंगाई कम होगी जादू का डंडा नहीं है। हमारे पास 73 सांसद होते तो डंडे से सही कर देते।

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के खड़े होने पर)

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम, खेल युवा कल्याण (राज्य मंत्री) (श्री राम करन आर्य)-

अरे बाजपेयी जी बैठिये अहंकार में मत डूबिये वक्त बड़ा खराब आने वाला है आपका।

श्री अध्यक्ष-

अरे आप उत्तर दो न मंत्री जी।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में नौकरियों की व्यवस्था

*01-डा0 धर्मपाल सिंह

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खिलाड़ी बेहतर सुविधाओं के अभाव और खेल कोटे में नौकरी न मिलने से पलायन कर रहे हैं ? क्या यह भी सही है कि पुलिस विभाग को छोड़कर अन्य सरकारी विभागों की नौकरियों में उक्त कोटा लागू नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार खिलाड़ियों का पलायन रोकने के लिये प्रदेश के सभी सरकारी विभागों की नौकरियों में खिलाड़ियों हेतु खेल कोटा लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेख यादव-

जी नहीं।

प्रदेश सरकार के समस्त विभागों में प्रदेश के प्रतिभावान/कुशल खिलाड़ियों को प्रदेश के शासकीय/सार्वजनिक उपक्रमों में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर नियुक्ति हेतु 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है।

खेल कोटा लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय प्रदेश में युवा मुख्य मंत्री हैं, उनकी खेलों में भी रूचि है और स्वयं भी खिलाड़ी हैं। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया, उसके सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में खेलों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए खेल निदेशालय है, उस खेल निदेशालय में एक खेल निदेशक की पोस्ट है जो प्रदेश में सबसे बड़ा पद है। पिछले 12 साल से उस पद को स्थायी रूप से नहीं भरा गया। पद का नाम खेल निदेशक और उस पद पर कोई आई0ए0एस0 या पी0सी0एस0 अस्थायी रूप से रहता है। प्रदेश में बहुत सारे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। शायद मंत्री जी भी हमारी बात से सहमत होंगे कि खेल निदेशक के पद को कम से कम खिलाड़ी से भरना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खेल निदेशक के पद को क्या वह किसी खिलाड़ी से भरेंगे। साथ ही साथ उनके खेल निदेशालय में कितने पद खाली हैं और जो मण्डलीय क्रीड़ा अधिकारी हैं, उनके कितने पद हैं, कितने भरे हैं, कितने खाली हैं। क्रीड़ा अधिकारी हैं, उनके कितने पद हैं, कितने भरे हैं, कितने खाली हैं। क्रीड़ा अधिकारी के कितने पद हैं, कितने भरे हैं, कितने खाली हैं और उप क्रीड़ा अधिकारी के प्रदेश में कितने पद हैं, कितने भरे हैं और कितने खाली हैं। यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह कहां इसमें है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, खेल सुविधाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है हमारा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न तो खिलाड़ी बेहतर सुविधाओं के अभाव में और खेल कोटे में नौकरी न मिलने से पलायन करने के बारे में है। मंत्री जी यह सूचना आपके पास है तो दे दीजिए।

श्री राम करन आर्य-

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न किया है कि श्रेष्ठ, वरिष्ठ और योग्य खिलाड़ियों के द्वारा खेल निदेशक का पद भरा जाना चाहिए। इस पर मेरा इतना ही आपसे कहना है कि यह पद चला आ रहा है अभी तक आई0ए0एस0 या पी0सी0एस0 अधिकारी की पोस्टिंग इस पर होती रही है। आने वाले दिनों में जो नीति हमारी बनेगी, उसके हिसाब से ही हम निदेशक का पद भरेंगे, अभी तो वही चल रहा है। आपने पूछा कि पद कितने खाली हैं तो मान्यवर, समूह 'क' के 6 पद हैं उसमें से 3 भरे हैं और 3 खाली हैं। समूह 'ख' में 21 पद हैं इसमें से 8 मरे हैं और 13 खाली हैं। समूह 'ग' में 420 पद हैं इसमें से 331 भरे हैं और 90 रिक्त हैं और समूह 'घ' में 269 पद हैं इसमें से 243 भरे हैं और 26 रिक्त हैं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में हम लोग चिन्तित हैं और जल्द ही जल्द यह पद जिस तरह से भरे जाने की प्रक्रिया है उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। मान्यवर, आपने जो सुविधाओं के लिए प्रश्न किया है तो मान्यवर, सुविधाओं के लिए हम लोगों के पास प्रतिभावान खिलाड़ियों को बचपन से ही ऊपर जाने के लिए प्रदेश, देश और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत ही पर्याप्त व्यवस्था है अन्य प्रदेशों की अपेक्षा। इसके सम्बन्ध में मान्यवर, हमारे हास्टल चल रहे हैं जिसमें 740 बच्चे हैं और हमारे जो कालेज हैं मान्यवर, 1116 बच्चे वहां हैं। इस तरीके से 1856 बच्चों को हम सारी सुविधाएं देते हैं। मान्यवर, रहने के लिए हमारे हास्टल हैं, किट्स हैं, उनके कपड़े हैं और उनके भोजन की व्यवस्था है। मान्यवर, उन बच्चों को जितनी ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी हो सकती है हम उन्हें देते हैं और इसीलिए हमारे यहां से बहुत अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी देश और दुनिया में नाम कमाते हैं।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने आरक्षण के सम्बन्ध में जवाब दिया है, मान्यवर, 11 सितम्बर, 2006 को इसका जी0ओ0 जारी हुआ। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पुलिस विभाग को छोड़कर उस जी0ओ0 के आधार पर पूरे प्रदेश में प्रत्येक वर्ष में कितनी नौकरियां खिलाड़ियों को दी गयीं ?

श्री राम करन आर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, ऐसा मेरी ही सरकार ने किया है, वर्ष 2006 में मेरी ही सरकार ने किया और मान्यवर, यह आरक्षण हारिजेन्टल नहीं है बल्कि यह आरक्षण वर्टिकल है। ऊपर से नीचे से नहीं है कि एक अगर है तो फलां के नाम होगा, सातवां है तो फलां के नाम होगा, यह इस तरह से मान्यवर क्षैतिज है और इसमें आयोग के पद अलग हैं। आपने अभी पुलिस के बारे में, सिपाही के बारे में कहा तो वहां तो दो हजार, तीन हजार भर्ती हो जाती है, तो जो सिपाही की भर्ती होती है वह दो

हजार, तीन हजार की भर्ती होती है तो उसमें दो परसेंट लिए जाते हैं और वह दिखाई पड़ता है। अब यह हर जगह आ जायेगा, मान्यवर, यह क्षैतिज होता है, सवर्ण का अलग है, बैकवर्ड का अलग है और शिड्यूल का अलग है। उसमें जितने पद हैं यह उसमें आरक्षण है। शिड्यूल कास्ट के अलग खिलाड़ी होंगे, बैकवर्ड के अलग खिलाड़ी होंगे और जनरल के अलग होंगे। मान्यवर, कम पद निकलते हैं इसलिए मेरी समझ से वह पूरा नहीं हो पाता है लेकिन जो मांस निकलता है उसमें खिलाड़ी लिए जाते हैं और आरक्षण के तहत् लिए जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं यह आपके लिए दुखद है आपकी सरकार में जब खेल आरक्षण की बात आयी तो प्रमुख सचिव को ही हटा दिया गया, उसे सस्पेंड कर दिया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई की गयी। तो फिर आप आरक्षण के बारे में क्या पूछते हैं ? मान्यवर, आरक्षण कोटा खिलाड़ियों से भरा जाता है, भरा जायेगा और आने वाले दिनों में भी यह चालू रहेगा इसमें कोई तब्दीली होने वाली नहीं है।

श्री सुशील सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ये खिलाड़ियों के लिए कोटा निर्धारित होता है तो किस तरह के खिलाड़ियों को कौन से रैंक के तरीके से उनको कोटा मिलता है हर विभाग में, इसकी जानकारी मैं चाहता हूं।

श्री राम करन आर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो आयोग की परिधि के बाहर के पद हैं और मैं समझता हूं कि क्लास-4 के ज्यादा हैं, क्लास-3 में थोड़ा हो सकता है, अब इसमें से जो भी खिलाड़ी मिलते हैं उनके कोटे के अनुसार उनको भरा जाता है। अगर आपको कहीं कोई शिकायत हो तो आप बताईयेगा हम उसको देखेंगे।

(श्री उमेश पाण्डेय व श्री त्रिभुवन राम के खड़े होकर अनुपूरक प्रश्न पूछने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष-

उमेश जी बैठिये अब मैंने प्रश्न संख्या-2 पुकार लिया है। त्रिभुवन राम जी आप जब पी0डब्लू0डी0 का प्रश्न आयेगा तब पूछियेगा।

प्रदेश में नये उद्योगों को आकर्षित करने हेतु औद्योगिक नीति सम्बन्धी जानकारी

*02-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये उद्योगों को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा कोई औद्योगिक नीति बनायी गयी है एवं वर्ष 2012 से 20-5-2014 तक प्रदेश में कितने नये उद्योग स्थापित हुए हैं तथा कितने पलायन किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में नये उद्योगों को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 बनायी गयी है।

दिनांक 01-04-2012 से माह अप्रैल, 2014 तक उपलब्ध आंकड़े के अनुसार कुल 79011 सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्यम की स्थापना हुई है जिनमें लगभग रू0 12266.95 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है तथा लगभग 748240 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

पलायन का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

उपरोक्तानुसार।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, उद्योगों से जुड़ी हुई बात बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से इस सदन में होती है, होनी भी चाहिए। मा0 मंत्री जी इस बात का जवाब दे रहे थे, मैं आपका संज्ञान चाहता हूं अध्यक्ष जी, पीठ दिखाने का काम किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य अपने आसन पर चलें।

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, इसी विधान सभा के सत्र में पिछले शुक्रवार को एक प्रश्न के जवाब में यह उत्तर मिला था, मेरा ही प्रश्न है कि 2012-13, 2013-14 में कितने उद्योग लगे ? उसका मुझे आज जो उत्तर मिला है, पिछले शुक्रवार को उत्तर मिला था कि 2012-13 में 4157 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था, 30,933 उद्योग लगे थे और 2013-14 में 43342 उद्योग लगे थे और 3995.48 करोड़ रूपये का निवेश हुआ था। मान्यवर, इन दोनों का टोटल होता है 8152.81 करोड़ रूपये, आज इसी के सापेक्ष में मुझे उत्तर मिला कि 12266.95 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, पिछले शुक्रवार से अभी शुक्रवार आया नहीं है और जवाब में अन्तर हो गया।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, प्रश्न करिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, अपने-आप में यही बहुत बड़ा प्रश्न है। माननीय मंत्री जी जिस समय समीक्षा करें तो पिछले कागजों को भी सामने रख लें जिससे उत्तर तो सही आये, जो हो रहा है वह हम सब लोग देख रहे हैं। इसलिए मैंने यह कहा था कि दो वर्षों में 8152 करोड़ रूपये का निवेश हुआ। इसमें बहुत सारे निवेश ऐसे होते हैं जो प्रदेश और केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उद्योगों को, लघु उद्योगों को एक लाख रूपये की सब्सिडी जिस प्रकार से सूडा में होती है वह देने की बात होती है। यह पैसा प्रदेश का भी हो सकता है, यह पैसा जनता का है चाहे वह प्रदेश सरकार से जाये या केन्द्र सरकार से जाये, मैं इस बात को कह लूं नहीं तो मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी पिछले दिनों से एक ही बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, प्रश्न करिये, इतना घुमाते हैं कि सारा समय इसी में चला जाता है, सीधे प्रश्न करिये।

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि अभी पिछले साल भी आगरा सम्मिट हुई थी, आगरा सम्मिट होने के बाद विधान सभा में कहा गया कि 60 हजार करोड़ रुपये का निवेश आयेगा और आया 3995 करोड़ रुपये का। इस बार भी यही कहा जा रहा है, कुछ दिन पहले कहा गया कि 64 हजार करोड़ रुपये का निवेश आयेगा और आज माननीय लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी के प्रश्न के उत्तर में 64 हजार करोड़ से घटकर 40 हजार कुछ करोड़ हो गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी करना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में 8 हजार करोड़ रुपये का आपकी सरकार में निवेश आया इस साल आपने कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं उद्योगों को दे दी है या आपने विश्वास पैदा कर दिया है उद्योगों में जैसे आपने बिजली सस्ती कर दी।

श्री अध्यक्ष-

आप विषय पर ही अपने को केन्द्रित रखिये जो प्रश्न है और जो उसका उत्तर आया है उसी संदर्भ में आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, असल में तो यह थीसिस है यह महाना जी की थीसिस है प्रश्न नहीं है थीसिस का जवाब थीसिस से आ जायेगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, सीधा सवाल है एक तो जो पूछा गया कि उद्योगों का पलायन हो रहा है तो इसका सीधा उत्तर आना चाहिए कि पलायन की जानकारी हमको नहीं है। मैं सरकार को अखबार नहीं दिखाऊंगा।

श्री अध्यक्ष-

वह यहां प्रदर्शित नहीं किया जा सकता।

श्री सतीश महाना-

उस समय आपने नहीं कहा था आज आपने कहा है उस समय भी ध्यान रखिए। सरकारी उपेक्षा के कारण उद्योग दम तोड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में उद्योगों का पलायन हो रहा है। इसका यह जवाब आता कि पलायन नहीं हो रहा है तब तो हम यह जानकारी मान लेते कि हां पलायन नहीं हो रहा है इसमें लिखा है कि संज्ञान में नहीं आया कि पलायन नहीं हो रहा है। पलायन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका उत्तर देना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष-

जो उत्तर आया है उसी में सवाल करिये आप अपना अनुपूरक बनाकर प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं दो वित्तीय वर्षों में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नीति बनायी थी उसके अलावा इस वर्ष कौन सी ऐसी सुविधायें दे दी गयी हैं जिससे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा। दूसरे जो उद्योगों

का पलायन हो रहा है उसके लिए क्या करने जा रहे हैं और पलायन की जानकारी आपके संज्ञान में क्यों नहीं है ?

श्री राममूर्ति वर्मा-

मैं इसकी पूरी जानकारी पूरे डिटेल में महाना जी को उपलब्ध कराने का काम करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

यह महाना जी को दे दें यह उसे पढ़ें।

श्री प्रदीप माथुर-

इन्होंने सबका रेट बढ़ा दिया उद्योगों के लिए चिन्ता है बिजली दे नहीं रहे कोयला दे नहीं रहे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष-

वह बता रहे हैं कि आपको जवाब उपलब्ध करा देंगे। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

श्री उमेश पाण्डेय-

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि विगत दो वर्षों में पूर्वांचल में कितने नये उद्योग लगाये गये यह जानकारी मैं मंत्री जी से चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

प्रदेश में बायोटेक को बढ़ावा देने सम्बन्धी योजनाओं की जानकारी

*03-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बायोटेक को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या योजनायें बनायी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में बायोटेक को बढ़ावा देने हेतु कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अन्तर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ प्लांट बायोडाईवर्सिटी एवं बायोटेक्नोलाजी कालेज, कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एवं कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत बायोटेक्नोलाजी के प्रोत्साहन हेतु स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के पठन-पाठन की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी जिस तरह से प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि अधिकारियों द्वारा मात्र खाना-पूरी की जा रही है। सदस्यों के प्रश्नों का आशय कुछ और होता है।

श्री अध्यक्ष-

भाषण मत करो प्रश्न पूछो।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मैंने पूछा था कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बायोटेक को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या योजना बनायी गयी ?

श्री अध्यक्ष-

वह उत्तर में आ गया है।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मैंने योजना पूछी थी और बताया जा रहा है स्नातक तथा स्नातकोत्तर के पठन-पाठन को बढ़ावा देने का काम किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे क्या बायोटेक को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनायी गयी है ? दूसरा प्रश्न है कि माइक्रो मैनेजमेंट आफ एग्रीकल्चर योजना 2013-2014 में बन्द कर दी गयी जिसमें गेहूं को बढ़ावा देने के लिए 48 जनपद, चावल को बढ़ावा देने के लिए 36 जनपद चयनित थे उसको रोका गया है, क्या उसको पुनः संचालित किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

वह योजना रोक दी गयी, क्या उसको चलायेंगे, यह माननीय सदस्य का सवाल है ?

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान व धर्मार्थ कार्य (राज्य मंत्री) (श्री राजीव कुमार सिंह)-

अभी तक तो इस पर कोई विचार नहीं चल रहा है और इसको चलाने के लिए जो भी कार्यवाही आयेगी वह बता दी जायेगी।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्योंकि केमिकल खादों से हमारे प्रदेश की भूमि अस्वस्थ हो गयी है, बीमार हो गयी है। काफी छाली और लंगड़ी हो गयी है, उसे सुधारने के लिए जो खाद नयी-नयी आ रही है, जैसे केचुओं से बनाने की खाद आयी है। अभी आई0बी0आई0 में एक यंत्र तैयार हुआ है जो खाद बनाने के लिए जो वेस्टेज हैं उसको उसमें डाल कर खाद बनाने का काम करते हैं। क्या माननीय मंत्री जी केचुओं के द्वारा खाद बनाये जाने वाली प्रक्रिया को और उस यंत्र के द्वारा जो वेस्टेज पड़ा हुआ है उसके द्वारा खाद बनाने वाली प्रक्रिया है उसके लिए किसानों के लिए कोई विशेष अभियान चलाने जा रही है। इसका जवाब दिलवा दें।

श्री राजीव कुमार सिंह-

इसकी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध होते ही दे दी जायेगी।

प्रदेश में विदेशी पूंजी निवेश की कार्य योजना एवं उसका विवरण

*04-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्रदेश में विदेशी पूंजी निवेश के प्रोत्साहन के लिये कोई विशेष कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है एवं पिछले वित्तीय वर्ष में कितना विदेशी पूंजी निवेश हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रदेश में अधिकाधिक पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 बनायी गयी है, जो देशी व विदेशी पूंजी निवेश दोनों पर लागू है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के मुख्य अवयय निम्न प्रकार से हैं :-

(1) समस्त आर्थिक क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसरों का सृजन करना (2) राज्य के क्षेत्रवार औद्योगिक असंतुलन को दूर करते हुए सभी भौगोलिक क्षेत्रों में पूंजी निवेश का लाभ पहुंचाना (3) प्रदेश में उपलब्ध मानव शक्ति की क्षमता एवं कौशल में गुणात्मक वृद्धि करना (4) अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना (5) औद्योगिक वातावरण में सुधार करना (6) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम0एस0एम0ई0) को प्रोत्साहन प्रदान करना (7) पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु वित्तीय अनुदान एवं छूट प्रदान करना (8) सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यक शासनादेश एवं नियमावली निर्गत करते हुए समयबद्ध रूप से नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना (9) उच्च स्तरीय समिति गठित कर नीति के क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जाना।

प्रदेश में अधिकाधिक औद्योगिक पूंजी निवेश को आकर्षित करने एवं औद्योगिक वातावरण का सृजन करने हेतु दीर्घकालीन निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के रोड-शोज एवं 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट' के आयोजन दिनांक 12-06-2014 को नई दिल्ली स्थित होटल ताज पैलेस में 'इन्वेस्टर्स कानक्लेव' का आयोजन किया गया। उक्त कानक्लेव में 07 देशों के दूतावासों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी पूंजी निवेश की सूचना उनके क्षेत्रीय कार्यालय-वार तैयार की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना के अनुसार वर्ष 2013-14 में नई दिल्ली क्षेत्र जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश व हरियाणा सम्मिलित है, में लगभग रु0 38,190 करोड़ का विदेशी पूंजी निवेश हुआ। इसी प्रकार कानपुर क्षेत्र जिसमें उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल के आंकड़े सम्मिलित हैं, में रु0 150 करोड़ का विदेशी पूंजी निवेश हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, हो गया इसको पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

अरे आप पढ़िये। पढ़ेंगे नहीं तो और सदस्य कैसे समझेंगे। चलिये पूछिये।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का भी ध्यान चाहूंगा क्योंकि उनके विभाग से सम्बन्धित यह उत्तर है और इसमें माननीय मंत्री जी के प्रयास का उल्लेख भी किया गया है कि हाल ही में दिल्ली में जो इन्वेस्टर कानक्लेव हुआ है उसमें उन्होंने भागीदारी करी। इससे पहले 2012 में आगरा समिति में इस प्रकार के प्रयास किये। मैं उनके इस प्रकार के प्रयासों और भावना की सराहना करता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह तथ्य स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि यह

जितने भी प्रयास हैं धरातल के स्तर पर पूरी तरह से स्पष्ट हैं यह उत्तर स्पष्ट बता रहा है कि प्रदेश में कितना पूंजी निवेश हुआ इसका उत्तर माननीय मंत्री जी के माध्यम से आया है कि नयी दिल्ली क्षेत्र, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश व हरियाणा सम्मिलित है और कानपुर एवं उत्तरांचल के आंकड़े सम्मिलित हैं मेरा सीधा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सीधा कितना विदेशी निवेश हुआ ? यह मैं पहला सीधा प्रश्न जानना चाहता हूं और मेरा दूसरा प्रश्न है कि यह जितना भी पूंजी निवेश हुआ है इसमें से प्रमुख कौन सी विदेशी संस्थायें और उद्योग प्रमुख हैं जिन्होंने इसमें निवेश किया और कितनी मात्रा में किया ? मुख्य मंत्री जी सीधे-सीधे विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष औद्योगिक क्षेत्र को बनाने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी आप समझ गये न सवाल, क्योंकि यह बहुत लम्बा पूछते हैं।

श्री राजीव कुमार सिंह-

रिजर्व बैंक के द्वारा इसका आंकड़ा मंगाया जाता है और मा0 सदस्य ने जो नाम लिया है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा का, वह तीनों के एक साथ आंकड़े पेश करते हैं अगर माननीय सदस्य को उत्तर प्रदेश का अलग से आंकड़ा चाहिए तो इसको हम मंगवाकर जानकारी कराकर मा0 सदस्य को अवगत करा देंगे।

श्री मनीष आसीजा-

मान्यवर, मेरे प्रश्न में स्पष्ट पूछा गया है कि प्रदेश में विदेशी पूंजी निवेश के प्रोत्साहन के लिए कोई विशेष कार्य योजना बनायी है ?

श्री अध्यक्ष-

सूचना नहीं है उन्होंने कहा है कि सूचना मंगाकर अवगत करा देंगे।

श्री मनीष आसीजा-

मैं जानना चाहता हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष में कितना विदेशी पूंजी निवेश हुआ यह भी यह नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

सूचना नहीं है वह मंगाकर अवगत करा देंगे।

प्रदेश में किसानों की उपज का लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाये जाने की मांग

*05-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई कार्य योजना बनायी गयी है और उस पर कब तक कार्यवाही पूरी कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा प्रति वर्ष खरीफ व रबी मौसम में कृषि लागत और मूल्य आयोग, भारत सरकार की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार द्वारा की जाती है।

डॉ0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? मैंने यह नहीं कहा था कि देने पर विचार कर रही है, सरकार कह रही है जी नहीं, इसका मतलब, यदि सरकार यह महसूस करती हो कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो सरकार उसके लिए प्रयास नहीं करेगी इस प्रश्न के उत्तर से भ्रमित हो रहा है दूसरा कृषि मूल्य आयोग और भारत सरकार की संस्तुतियों पर घोषित होता है मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है जब मैंने यह पूछा है कि दिलाने पर, देने पर नहीं, तो सरकार का उत्तर असंगत आया है दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या सरकार भारत सरकार के द्वारा घोषित समर्थन मूल्य, यदि किसान के लागत मूल्य से अपर्याप्त है तो क्या सरकार, भारत सरकार से उस मूल्य को बढ़ाने का प्रयास अथवा जैसा अन्य राज्य सरकार मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह करते हैं क्या उस पर बोनस देने पर सरकार विचार करेगी मैं यह प्रश्न अनुपूरक प्रश्न के माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री राममूर्ति वर्मा-

लाभकारी मूल्य लगभग 50 फीसदी बढ़ाकर संस्तुति भेजी जाती है दूसरा प्रश्न जो आपने कहा है उसमें सरकार अभी विचार नहीं कर रही है। इसलिए अभी संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, आज समाचारों के माध्यम से आपको ज्ञात हुआ होगा कि केन्द्र सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया है राज्यों से कहा है जो सरकारी मूल्य निर्धारित होते हैं केन्द्र सरकार से, उस पर अतिरिक्त बोनस न दिया जाय।

हमने आज ही सुबह पढ़ा है, केन्द्र सरकार ने आज ही कहा है। क्या इसकी जानकारी आपको है ?

डॉ0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

मान्यवर, आपका कृपापूर्ण संरक्षण चाहिए कि क्या यह सदन अखबारों का संज्ञान ले सकता है ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपको जानकारी है ?

डॉ0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

मान्यवर, यह मेरे भी संज्ञान में है लेकिन यह संयोग ही है कि आज ही मेरा प्रश्न है और आज ही वहां की खबर आयी है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये।

डॉ0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

अध्यक्ष जी, नहीं, मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और किसानों से सम्बन्धित है। अध्यक्ष जी, मैंने यह पूछा था दिलाने पर विचार और उत्तर आया-देने पर विचार नहीं।

श्री राममूर्ति वर्मा-

मान्यवर, हम भारत सरकार को लागत मूल्य से बढ़ाकर समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए लिखकर भेजते हैं, यह सब भारत सरकार का ही किया-धरा होता है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी कह रहे हैं कि हम भारत सरकार को बढ़ा कर देने के लिए लिखते हैं, लेकिन वह नहीं मानती है। वह चाहते हैं कि आप उनका सहयोग करें।

डॉ0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

मान्यवर, यदि भारत सरकार लागत मूल्य से बढ़ाकर समर्थन मूल्य नहीं देती है तो क्या प्रदेश सरकार दबाव बनायेगी ? अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए, यह सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी सरकार है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, बाजपेयी जी ने पूछा है कि अगर किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तो क्या केन्द्र सरकार को जोर लगायेगी ? मान्यवर, बाजपेयी जी की मदद से ज्यादा जोर लगायेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

प्रदेश सरकार की बन्द पड़ी यू0पी0 स्टेट स्पिनिंग मिलों के बन्द होने के कारण तथा उसे चलाये जाने की मांग

06-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित यू0पी0 स्टेट स्पीनिंग मिलें पूर्णतया बन्द हो जाने के कारण उक्त मिलों में कार्यरत बेरोजगार हो गये हैं तथा प्रदेश को होने वाली आय का स्रोत भी बन्द हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त मिलों के बन्द होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इन्हें पुनः चालू कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

यू0पी स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बाराबंकी इकाई, जो आंशिक रूप से संचालित है, को छोड़कर शेष इकाइयां बन्द हो चुकी हैं। उक्त मिलों के कार्मिकों को वी0आर0एस0 स्वीकृत किया जा चुका है। चूंकि उक्त इकाइयां निरन्तर हानि में चल रही थीं। अतः राज्य सरकार को होने वाली आय बन्द होने का प्रश्न नहीं उठता।

कार्यशील पूंजी के अभाव, वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता, मिलों की नेटवर्थ शून्य हो जाने, विपरीत बाजारी दशाओं के होने, पुरानी तकनीकी की मशीनों के होने, विद्युत एवं वेतन दर अधिक होने, श्रमिक संगठनों का अनावश्यक हस्तक्षेप होने एवं मशीनों के आधुनिकीकरण न होने इत्यादि कारणों से कताई मिलें धीरे-धीरे बन्द होती गयीं।

सम्प्रति बन्द पड़ी कताई मिलों को निजीकरण/विक्रय के माध्यम से चलाये जाने से सम्बन्धित पुनर्वासन योजना मा0 बी0आई0एफ0आर0 को सन्दर्भित है। मा0 बी0आई0एफ0आर0 के आदेशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

(मा0 मंत्री, श्री राम मूर्ति वर्मा द्वारा लिखित उत्तर पढ़ा गया।)

श्री उपेन्द्र तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बी0आई0एफ0आर0 को सन्दर्भित करने के बाद उस पर विचार के उपरान्त प्रगति क्या है तथा कब तक परिणाम आने की सम्भावना है ?

श्री राम मूर्ति वर्मा-

मान्यवर, मा0 बी0आई0एफ0आर0 के यहां सुनवाई चल रही है, उनका निर्देश प्राप्त होते ही उनके निर्णय का सम्मान किया जायेगा।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा दूसरा सवाल है, क्या इससे बेरोजगार हुए व्यक्तियों को सरकार किसी अन्य स्थान पर समायोजित करेगी ?

श्री राम मूर्ति वर्मा-

मान्यवर, जितने लोग बेरोजगार हुए हैं, उन सबको वी0आर0एस0 दे दिया गया है और मा0 बी0आई0एफ0आर0 का जो आदेश होगा, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री उपेन्द्र तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। बलिया जनपद में एक कताई मिल है। बलिया जनपद से तीन-तीन कैबिनेट मंत्री जी यहां बैठे हैं, मा0 मुख्य मंत्री जी भी हैं। तो क्या यह तीनों कैबिनेट मंत्री मिलकर बलिया जनपद की कताई मिल को चलवायेंगे।

श्री राम मूर्ति वर्मा-

जी नहीं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब बैठिये।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे तीन कैबिनेट मंत्री मिलकर एक कताई मिल चालू नहीं करा सकते हैं।

(इस बीच श्री उपेन्द्र तिवारी बोलते रहे लेकिन उनका माइक ऑफ होने के कारण उनकी बात सुनायी नहीं दी।)

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, सब उत्तर आ गया। प्रश्न तो लगाते नहीं हैं और जब प्रश्न लगता है तो सब हाथ उठाकर खड़े हो जाते हैं। बैठिये।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के शिक्षकों के आमेलन हेतु नीति निर्धारण सम्बन्धी जानकारी

*07-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल तथा श्री पंकज गुप्ता-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत शिक्षकों के आमेलन के सन्दर्भ में कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

मानदेय शिक्षकों के आमेलन के संबंध में उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम-1980 यथा संशोधित अधिनियम, 2000 की धारा-31-ई प्रख्यापित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, इसी सदन में हम लोगों ने उच्चतर शिक्षा सेवा (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया था। उस समय मैंने एक सवाल खड़ा किया था। 1998 के आदेश के बाद से 29 मार्च, 2011 तक यह नियुक्तियां हुयीं हैं। 29 मार्च, 2011 को यह आदेश वापस ले लिया गया। उसके बाद जो भी नियुक्तियां हुयीं, अवैधानिक हैं। मैं इसको मानता हूं कि 29 मार्च, 2011 के बाद की नियुक्तियां अवैधानिक हैं। जिस धारा की यह बात कर रहे हैं, 31-ई- यह धारा यह प्राविधान करती है कि दिसम्बर, 2006 तक जो लोग कार्यरत रहे होंगे उन्हें आमेलित कर दिया जाएगा। मैंने इस विधेयक के संशोधन में भी यह चर्चा की थी कि 2006 में आप विधेयक लाये थे लागू नहीं कर पाये अब आप पुनः ला रहे हैं। आपका अपना शासनादेश यह था कि जो लोग 29 मार्च 2011 तक कार्यरत हैं वह वैधानिक हैं। तो क्या सरकार यह व्यवस्था करेगी कि 2006 से लेकर 2011 तक के जो मानदेय शिक्षक हैं उनको भी जोड़ लिया जाये। मान लीजिए कि सरकार की मजबूरी थी उन्होंने नहीं किया, पास कर दिया। विधान परिषद् में जहां तक मुझे मालूम है कि यह प्रवर समिति में चला गया। अब प्रवर समिति में सरकार को एक मौका मिल गया। मैं यह नहीं कहूंगा कि अपनी गलती सुधारें। आपने 2006 तक रेगुलराइज किया अच्छा किया। अब आपको मौका मिला है कि जो 2006 से 2011 तक बचे हैं उनको भी आमेलित कर लेने का। प्रवर समिति में विषय गया है क्या सरकार सदन में इस बात को कहेगी

कि प्रवर समिति में इसको राजनीतिक इश्यू न बनाते हुए इस पर विचार करेगी और 2011 तक के शिक्षकों को आमेलित करेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मानदेय शिक्षकों की जो स्थिति थी और इस संबंध ने जैसा प्रश्नकर्ता मा0 डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने बताया है। श्रीमन्, उनकी नियुक्ति के लिए प्राविधान बना दिया गया, जहां आवश्यकता थी वहां मानदेय शिक्षक नियुक्त कर लिये गये और मानदेय शिक्षकों को नियुक्त करने के बाद उनकी स्थिति यह थी, श्रीमन्, मानदेय जैसे शब्द से ही स्पष्ट है कि एक फिक्स पे पर उनको रख दिया गया। 2003 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आयी तो उसके सामने भी यह समस्या आयी और उन अध्यापकों की कठिनाई को दूर करने के दृष्टिकोण से 2006 में इसी सदन में हमने विधेयक पारित किया और कदाचित 28 दिसम्बर, 2006 तक अब स्पष्ट तिथि तो मैं रिकार्ड देख कर ही बता पाऊंगा, तो 28 दिसम्बर, 2006 तक जिस दिन से वह विधेयक प्रभावी हुआ उस दिन तक जितने लोग शर्तें पूरी करते थे और उन शर्तों में बहुत सामान्य बातें थीं कि उस पद पर आने के लिए जो सामान्य अर्हता थी, वह अर्हता पूरी करते हों और उनको मानदेय 03 वर्षों तक लगातार दिया गया हो और उसके साथ और भी कन्डीशन्स उनकी थी, उनको पूरा करने वाले जितने मानदेय शिक्षक थे, उनको नियमित किये जाने के लिए विधेयक हमने पारित किया। उसमें मान्यवर एक त्रुटि रह गई, वह त्रुटि ऐसी थी जो थी तो बहुत छोटी, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा हो गया, प्रभाव यह हो गया मान्यवर कि उसमें यह था कि जिनकी नियुक्ति उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा न की जा सकती हो, अब वह न की जा सकती हो, तो ऐसी स्थिति थी कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की शक्तियां तो ऐसी थी कि उसमें न सकती हो का कोई सवाल नहीं है। अब जिस स्तर पर भी भूल हुई, वह भाषा के स्तर पर भूल हुई, मान्यवर, 2007 में राजनैतिक कारणों से परिवर्तन हुआ, सरकार चली गई, 2007 से लेकर के 2012 तक एक सरकार रही और मान्यवर, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई और मा0 मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यह सरकार जब काम करना शुरू किया तो उन नौजवानों की समस्या उनके सामने आई और उन नौजवानों की जायज समस्याओं के निराकरण के लिए जो तात्कालिक तौर पर सरकार कर सकती थी, श्रीमन् अविश्वसनीय होगा बाकी किसी किन्हीं लोगों के लिए दूसरी जगह कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा, ऐसा असाधारण कार्य हुआ उनके लिए कि उनको छठे वेतन आयोग का लाभ दे दिया गया, उनको डी0ए0 का जो प्राविजन था, वह दे दिया गया, उनको ग्रेड-पे दे दी गई और मान्यवर, अगर वह महिला हैं तो उनको मातृत्व अवकाश सहित अन्य जो अवकाश अनुमन्य हैं, वह सब कुछ दे दिया गया और उसमें कोई भेद-भाव नहीं किया गया सबके साथ, सबको समान रूप से यह दे दिया गया, कितनी संवेदनशील, संवेदनशील तो छोटा शब्द है मान्यवर, संवेदनशीलता तो एक बात है, उससे आगे बढ़ कर के सरकार ने उन अध्यापकों की इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। मैं समझता था कि डा0 अग्रवाल इस बात के लिए बधाई देंगे, मा0 मुख्य मंत्री जी को, कि ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने उन अध्यापकों की इतनी कठिन समस्याओं को हल करने का काम किया, उनको छठा वेतन आयोग दिया। अब जो त्रुटि रह गई थी उसमें, उसको दूर करने के लिए अभी हमने इस सदन से पारित किया आपका संशोधन था और आपके संशोधन के दिन भी इस पर चर्चा हुई,

मैंने सदन को तब भी अवगत कराया, आज भी अवगत कराना चाहता हूं कि एक शब्द के कारण मान्यवर, एक शब्द ऐसा था कि सकता की जगह पर नहीं किया जा सका, सिर्फ करना था। तो इस कारण से हम उसका अध्यादेश लाये और उसके बाद पुनः वह विधेयक ले आये, इस सदन ने पारित किया उसको। अब प्रवर समिति में तो सभी जाकर के वहां राजनैतिक कारणों से अगर किसी दल की संख्या वहां है जो अध्यापकों के हितों के विपरीत, बार-बार सत्ता में आने पर, चार बार मुख्यमंत्री रहने पर नहीं करती और पांच साल तक लगातार रहने पर जिन लोगों ने नहीं किया और इन अध्यापकों के हितों का विरोध कौन कर रहा है, इसका उल्लेख होना चाहिए। पांच साल तक जिन्होंने नहीं किया, वह यह भी नहीं पारित होने देना चाहते हैं। वह उनको नियमित होने देने का प्रस्ताव भी पारित नहीं होने देना चाहते हैं। सवाल यह है कि बहुजन सामज पार्टी की सरकार पांच साल रही, उनकी न तनख्वाह बढ़ाई, न उनको छठा वेतन आयोग दिया, न डी0ए0 दिया, न छुट्टी दी और नियमित भी नहीं किया तो श्रीमन् इस स्थिति में मान्यवर, चर्चा तो यह होनी चाहिए और उसमें अगर हमसे पूछ रहे हैं तो उन अध्यापकों के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी थी, उनको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है श्रीमन् इसलिए मुझे उनके प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी देने की आवश्यकता पड़ी।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष, जी, मेरा मूल प्रश्न जहां का तहां है, इन्होंने नहीं किया यह सत्य है, इनकी रुचि नहीं थी, यह सत्य है। आपने किया यह भी सत्य है, आप बधाई के पात्र हैं, यह भी सत्य है। प्रश्न यह है कि आपने आधा-अधूरा क्यों किया, आपने जब दिसम्बर, 2006 तक के शिक्षकों को विनियमित किया या उस समय विधेयक लाये, तो जो शासनादेश 1998 से चल रहा था, आप उसको 2006 में वापस ले लिये होते।

आप उसको 2006 में वापस ले लिये होते और कह दिये होते कि यह विधेयक अब लागू हो रहा है क्योंकि आप तो लागू कर रहे थे। आपको नहीं पता था कि भरा जा सकता है का क्या मतलब निकलेगा। मैं बार-बार यह कहता हूं कि विधेयक बहुत सावधानी से लाने चाहिये लेकिन आपने वह शासनादेश वापस नहीं लिया। 2006 से लेकर के आपके शासनादेश से 2011 तक नियुक्तियां होती रहीं। आज आप नियुक्ति परमानेन्ट करने आये हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आप बहुत अच्छे हैं, आप और भी अच्छे हो जाइये। 2006 से लेकर के 2011 के शिक्षकों ने क्या अपराध किया है। आपके शासनादेश के अनुसार अर्हता रखते हैं, 03 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, आप उनको दो ग्रेड में क्यों बांट रहे हैं। 2006 तक का किया है, 2011 तक का कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

सवाल यह है कि, महाविद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत शिक्षकों के आमेलन के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित की गयी है। उन्होंने बता दिया अब क्या इश्यू बचा है। आप इस पर बहुत लम्बा भाषण कर चुके हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, यही तो मैं पूछ रहा हूं। आप मेरी बात का जवाब दिला दीजिये, ये कह दें कि नहीं करेंगे। मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं कि 2006 से लेकर 2011 तक के शिक्षकों को आमेलित किया जायेगा या नहीं।

श्री अध्यक्ष-

आप तो इस पर उस दिन भी भाषण दिये थे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, अगर यह सरकार अपनी उपलब्धि पर बधाई लेना चाहती है तो ले।

(श्री दलवीर सिंह द्वारा उठकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब, अब आपने उनको भी उकसा दिया। जब आप कमजोर पड़ने लगते हैं तो दूसरों को उकसाते हैं। मा0 डा0 साहब, अब आप बैठिये, अब न बोलिये। मा0 दलवीर सिंह जी, अब आपको क्या कहना है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के मध्य)

श्री दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, सभी अध्यापक मा0 मुख्यमंत्री जी से मिलने गये, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिससे वे नहीं मिले। मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता हुयी, आपके चौधरी साहब से भी वार्ता हुयी। मा0 मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया। मान्यवर, आप इसे कराइये, यह शिक्षकों के लिये बहुत आवश्यक है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं उत्तर दे दूं। मा0 सदस्यगण ने डा0 अग्रवाल साहब ने और आदरणीय ठाकुर साहब ने सुझाव दिये हैं और यह कहा है कि अध्यापक सभी जगहों पर आये, गये। ये कोई प्रश्न नहीं, मैं स्वीकार कर लेता हूं कि आये गये। आप वैसे ही कह देते, मैं मान लेता। इसमें आपने प्रश्न तो कोई किया ही नहीं। आपने बताया कि अध्यापकगण सब जगह गये, हां जरूर गये होंगे। मैं कैसे मना कर सकता हूं, आपकी सूचना सही है। मा0 अध्यक्ष जी, हमारा यह कहना है कि 2006 में हम विधेयक ले आये थे, उसकी जो त्रुटि थी, उसका जो कठिनाई निवारण हमको करना था, वह हमने कर दिया है ओर उसमें जो उसके बाद के लोग हैं, वे कोई लोग न निकाले गये हैं, न किसी की तनख्वाह काटी गयी। मान्यवर, उसमें किसी के साथ कोई हकतल्फी नहीं हुयी है। हम जो 2006 का विधेयक ले आये थे, उस 2006 के विधेयक में हम ठीक करने का काम किये हैं। इसमें हमने किसी को नौकरी से निकाला नहीं, कोई तनख्वाह कम नहीं की, किसी के साथ कोई बात की नहीं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, 2006 से लेकर 2011 तक के शिक्षकों का क्या होगा। एक समाज में दो समूह कैसे बनेंगे। ये अन्याय है जो नहीं होना चाहिये। अध्यक्ष जी, यह ठीक नहीं है। 2006 से 2011 तक के शिक्षकों का भी आमेलन होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

जब उच्च शिक्षा का बजट आयेगा तो।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, यह उच्च शिक्षा का मामला नहीं है। यह सवाल का मामला है, सरकार एक ही समय में एक ही शासनादेश पर नियुक्त शिक्षकों को 2 हिस्सों में बांट रही है। अध्यक्ष जी, यह अनुचित है, सरकार को जवाब देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

हम जवाब नहीं दिला सकते हैं, उनकी जो मर्जी होगी देंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी सरकार को जवाब देना चाहिए।

प्रदेश में विकलांगों को पुनर्वासित करने की नीति एवं इनको रोजगार दिलाने हेतु योजना सम्बन्धी जानकारी

*08-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकलांगों को पुनर्वासित करने की सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार शारीरिक रूप से विकलांग के साथ जो मन, बुद्धि मस्तिष्क से कमजोर हैं, को रोजगार दिलाने हेतु कोई योजना चालू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

विकलांग कल्याण विभाग द्वारा विकलांगों के पुनर्वासन हेतु निम्नलिखित योजनायें संचालित हैं:-

1-विकलांग भरण-पोषण अनुदान योजना।

2-दुकान निर्माण/संचालन योजना।

3-विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिए कौशल विकास केन्द्र।

4-मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र।

5-अमरावती पुरूषोत्तत बहुउद्देशीय विकलांग विकास संस्थान, वाराणसी का संचालन।

विभिन्न श्रेणियों के विकलांग जनों को रोजगार दिलाने हेतु दुकान निर्माण/संचालन योजना एवं उनको स्वावलम्बी बनाने हेतु रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास केन्द्र संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी यह प्रश्न समाज के उन लोगों के सम्बन्ध में है मान्यवर जिसको वास्तव में सरकार की सहायता और संरक्षण दोनों चाहिए। मा0 मंत्री जी ने उन योजनाओं का जिक्र किया है, अपने उत्तर में जो संचालित हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो नेत्रहीन विकलांग हैं, दोनों नेत्रहीन विकलांग हैं, उनके सम्बन्ध में सरकार की क्या कार्ययोजना है मान्यवर, और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि इन दो वर्षों में कितने विकलांगों को खासतौर से नेत्रहीन विकलांगों को पुनर्वासित किया गया। मेरा स्पष्ट प्रश्न है मान्यवर, नेत्रहीन विकलांगों के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न में तो सब तरह की विकलांगों के बारे में पूछा है, नेत्रहीन के बारे में ही तो पूछा नहीं है। अकेले नेत्रहीन के बारे में तो पूछा नहीं है, सभी प्रकार के विकलांगों के बारे में पूछा है। जब सारे विकलांगों के बारे में आपका सवाल है और प्रश्न सिर्फ नेत्रहीनों के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह सप्लीमेंटरी पूछ रहे हैं, बाकी तो आ गया है। नेत्रहीन विकलांगों के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है, दूसरा कितने नेत्रहीन विकलांगों को पुनर्वासित किया गया है, ये मान्यवर, बता दें।

श्री अध्यक्ष-

ये कहां ये प्रश्न हैं, आप भी खूब घुमाकर पूछते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, सीधा-सीधा विकलांग के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा मंत्री जी कोई जवाब देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, जो बात आदरणीय खन्ना जी ने पूछी है उनको अवगत कराना चाहता हूं कि जितने श्रेणी की विकलांगता है और जो योजनाएं हैं, वह प्रत्येक श्रेणी के लोगों के लिए समान रूप से हैं, अलग-अलग की विकलांगता की जो स्थिति है, जैसे जो दृष्टिबाधित विकलांग हैं, जो अस्थियों से विकलांग हैं, जिनकी विकलांगता अलग है, प्रतिशत के आधार पर यह है कि 40 प्रतिशत से अधिक कोई अगर विकलांग है तो उसे इन सारी सुविधाओं को देने का हम काम करते हैं। ये समस्त योजनायें जिनका मैंने मूल प्रश्न के रूप में उत्तर, जो मूल प्रश्न के उत्तर में जिनका मैंने उल्लेख किया है, इन सबका लाभ (डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल और श्री सुरेश कुमार खन्ना के आपस में बात करने पर) अब आप मेरी बात सुन लें, उनकी बात न सुने, वह दोनों के मध्य हैं, भ्रमित कर रहे हैं, चिन्ता मत करिये, मैं आपको सही राय दे रहा हूं। इसलिए मा0 अध्यक्ष जी, जो मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है इन सभी योजनाओं को लाभ नेत्रहीन लोगों को प्राप्त होता है, जहां तक उनकी संख्या का सवाल है, क्योंकि यह विस्तृत प्रश्न है, मैं उसकी सुनिश्चित संख्या आज आपको नहीं दे सकता हूं क्योंकि अगर किसी एक योजना के बारे में आप पूछते तो हम उसकी संख्या बताते आपको यह पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए मान्यवर, अगर संख्या बतानी होगी, तो जैसा आप आदेश करेंगे, जिनता समय बताइये, मैं संख्या सदन के सामने रख दूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, जब विकलांग के सम्बन्ध में प्रश्न है और मेरा प्रश्न सुसंगत है। मान्यवर, सप्लीमेंटरी इसके ऊपर बनता है और सप्लीमेंटरी पूछने का मान्यवर, मेरा अधिकार है। मा0 अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण हम चाहते हैं और संरक्षण मान्यवर, सरकार चाह रही है। मान्यवर, मेरा सीधा-सीधा प्रश्न है कि जो लोग नेत्र बाधित लोग हैं, उसमें से कितने लोगों को पुनर्वासित किया गया है, यह क्या इसमें आना नहीं चाहिए। अगर जितने प्रकार के विकलांग हैं, वह सारी सूचना मान्यवर,

आज इनके पास होनी चाहिए और उनमें से नेत्रबाधित लोगों में से कितने लोगों को पुनर्वासित किया, यह मान्यवर, उसका सप्लीमेंटरी बनता है।

यह प्रश्न से अलग नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह नीतिगत और संवेदनशील प्रश्न है। पहले विकलांग भरण-पोषण अनुदान योजना है। इसमें वर्तमान में रु0 300/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता वाली विकलांगजन जिनकी मासिक आय रु0 1000/- तक हो, को दिया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना में 316.00 करोड़ की धनराशि का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। दूसरे दुकान निर्माण/संचालन योजना है। इसमें 40 प्रतिशत विकलांगता वाले विकलांगजन को दुकान निर्माण हेतु रु0 20,000/- एवं दुकान/खोखा/गुमटी/हाथ ठेला संचालन हेतु रु0 10,000/- की धनराशि प्रदान की जाती है। रु0 20,000/- में रु0 15,000/- की धनराशि 4 प्रतिशत साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में तथा रु0 5000/- अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। इसी प्रकार रु0 10,000/- में रु0 7500/- अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। गत वित्तीय वर्ष में इस योजनान्तर्गत रु0 75.10 लाख की धनराशि व्यय करके 751 विकलांगजन को लाभान्वित किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना में रु0 96.40 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। इसी तरह से मान्यवर, विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिए कौशल विकास केन्द्र हैं। इसमें रोजगारपरक व्यवसायों यथा-कम्प्यूटर एप्लीकेशन, ब्यूटीशियन, सिलाई, कढ़ाई, मोबाइल रिपेयरिंग, टाइपिंग एवं शार्टहैंड, फैन्सी मोमबत्ती मेकिंग आदि में प्रशिक्षण देकर जीवकोपार्जन करने में सक्षम बनाने हेतु यह है। इसमें प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर एवं बांदा जनपद में दृष्टिबाधित विकलांगता के विकलांगजन हेतु इसके अतिरिक्त जनपद आगरा में मूक-बधिक विकलांगता के विकलांगजन हेतु तथा वाराणसी, उन्नाव एवं इलाहाबाद जनपद में अस्थिबाधिक विकलांगता के विकलांगजन हेतु आवासीय योजना है।

मान्यवर, आप पूरा उत्तर सुन लें। मैं मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र के बारे में भी बता रहा हूं। प्रदेश के निराश्रित मानसिक मंदित महिलाओं एवं पुरुषों हेतु तीन मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गयी है।

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

(श्री मोहम्मद आजम खां ने बैठे हुए कहा कि वह बालिया के बारे में पूछ रहे हैं)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, बलिया में भी कुछ मानसिक मंदित हैं। हम बलिया में भी उनकी व्यव्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-8 के उपरान्त प्रश्नों का समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में औद्योगिक एवं वाणिज्यक प्रयोग हेतु जमीन से पानी निकालने की नीति सम्बन्धी जानकारी

01-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोग के लिए जमीन के अन्दर से भारी मात्रा में पानी निकालने की कोई नीति है ? यदि नहीं, तो क्या ऐसी नीति की आवश्यकता पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोग के लिए जमीन के अन्दर से भारी मात्रा में पानी निकालने की कोई नीति नहीं है।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-436/62-1-2004-863/98 दिनांक 25-05-2004 में वाणिज्यिक, औद्योगिक, आवासीय एवं सड़क निर्माण आदि से सम्बन्धित गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा भू-जल विकास से सम्बन्धित "अनापत्ति प्रमाण पत्र" की व्यवस्था है, जो क्षेत्र विशेष की भू-जल उपलब्धता की स्थिति के आंकलन के अनुसार होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश दिनांक 25-05-2004 में व्यवस्था प्राविधानित है।

प्रदेश में विकलांग बच्चों की संख्या एवं अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क सुविधाएं

02-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकलांग बच्चों की संख्या कितनी है एवं कितने बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं ? अध्ययनरत विकलांग विद्यार्थियों को कौन-कौन सी सुविधायें सरकार द्वारा दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के विकलांग बच्चों की संख्या-15,51,148 है।

विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में कुल 1634 बच्चे अध्ययनरत हैं।

विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत गरीब छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन आदि की सुविधा दी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित कतिपय पेंशन योजना के विवरण की जानकारी

03-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित गरीब व्यक्तियों के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना संचालित की जा रही है ? यदि हां, तो उपरोक्त योजनाओं में लाभार्थियों को कितनी-कितनी धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान किये जाने

का प्राविधान है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना लागू की जा रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है तथा कितनी धनराशि पेशंन के रूप में दी जायेगी ? क्या सरकार प्रदेश में चल रही अन्य पेंशन योजनाओं में समानता लायेगी ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना वर्तमान में संचालित है। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना वर्तमान में संचालित नहीं है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के पात्र वृद्धजनों को रू0 300/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के पात्र वृद्धजनों को रू0 500/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी पेंशन दिया जाना अनुमन्य है।

जी हां।

समाज के सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सही प्रतिनिधित्व देते हुए प्रदेश के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के ऐसे गरीब परिवार, जिनके पास आय के उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं हैं, के जीवन-यापन, आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु नियमित रूप से मासिक आर्थिक सहायता दिये जाने के उद्देश्य से प्रदेश स्तर पर कुल 40 लाख परिवारों को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

शासनादेश संख्या-264/26-02-2014-100(1)/2013, दिनांक 07 फरवरी, 2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से समाजवादी पेंशन योजना प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। योजनान्तर्गत रू0 500/- प्रतिमाह पेंशन ई-पेमेण्ट के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। लाभान्वित किये जा रहे परिवार के मुखिया को शिक्षा, साक्षरता एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित शर्तों की पूर्ति होते रहने पर 01 वर्ष के उपरान्त अतिरिक्त रू0 50/- प्रतिमाह देय होगा अर्थात द्वितीय वर्ष में उक्त लाभान्वित परिवार के मुखिया की पेंशन की राशि बढ़कर रू0 550/- प्रतिमाह हो जायेगा। इसी प्रकार 5 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष मासिक पेंशन की राशि में रू0 50/- की वृद्धि होगी। लाभान्वित परिवार के मुखिया को देय अधिकतम धनराशि रू0 750/- प्रतिमाह होगी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पेंशन योजनाओं की प्रकृति एवं योजनाओं के राज्य/केन्द्र पोषित होने तथा सीमित उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के परिणामस्वरूप पेंशन योजनाओं में समानता लाया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में गरीबों की पुत्रियों के विवाह हेतु दी जा रही अनुदान राशि को बढ़ाये जाने की मांग

04-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान की कितनी-कितनी धनराशि किन-किन जातियों एवं श्रेणी के परिवारों को दिये जाने की योजना है ? क्या सरकार मंहगाई को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में रु0 20,000/- (बीस हजार) प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। बुन्देलखण्ड को छोड़कर प्रदेश के शेष जनपदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा सामान्य वर्ग को पूरे प्रदेश में रु0 10,000/- अनुदान दिया जाता है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत अल्पसंख्यक (मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदाय) वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की पुत्री के विवाह हेतु रु0 10,000/- (रूपये दस हजार) प्रति लाभार्थी अनुदान योजनान्तर्गत प्रदेश स्तर पर संचालित है।

अन्य पिछड़े वर्ग के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु रु0 10,000/- (रूपये दस हजार) प्रति शादी अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है, जिसमें योजना का लाभ प्रथम आवक प्रथक पावक के सिद्धान्त के अनुरूप दिया जाता है। योजना में निराश्रित विधवाओं, अपंगों, भूमिहीन एवं दैवी आपदा से ग्रसित लोगों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिये जाने में शीर्ष प्राथमिकता दिये जाने का प्राविधान है। एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार की दो पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

वर्तमान दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

05-श्री काली चरन सुमन-

[3सरे सोमवार के अता0 प्र0सं0-114 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी की मण्डी समिति द्वारा विकास खण्ड ईसानगर तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

06-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी समिति लखीमपुर खीरी द्वारा ग्राम उदयपुर से बेल्तुआ विकास खण्ड ईसानगर तक बनी सड़क जो वर्तमान में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण वर्ष 2007-08 में कराया गया था। गांव के अन्दर निर्मित भाग पर जल भराव एवं ट्रैक्टर ट्राली के आवागमन के कारण गड्ढे हो गये हैं। गांव के बाहर निर्मित भाग का लेपन समय अन्तराल के कारण कहीं-कहीं क्षतिग्रस्त हो गया है।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य विकास कार्यों की प्राथमिकता के दृष्टिगत मार्ग की मरम्मत पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के बबीना में राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने की मांग

07-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना नगर में राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-झांसी के बबीना में 01 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। इसके अतिरिक्त बबीना विकास खण्ड से लगभग 25 किमी0 की परिधि में 08 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित है। इस प्रकार जनपद-झांसी के बबीना क्षेत्र में शिक्षा का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अतः जनपद खीरी के बबीना में राजकीय महिला महाविद्यालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

जनपद झांसी के विकास खण्ड मुख्यालय से राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने की मांग

08-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड मुख्यालय एवं कस्बा चिरगांव के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु कोई भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-झांसी के विकास खण्ड चिरगांव में 01 स्ववित्तपोषित सहशिक्षा का महाविद्यालय संचालित हैं। इस प्रकार जनपद-झांसी के विकास खण्ड चिरगांव में शिक्षा का अवसर उपलब्ध है। अतः जनपद-झांसी के चिरगांव क्षेत्र में राजकीय महिला महाविद्यालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

प्रदेश के महाविद्यालयों को अनुदान सूची में लिए जाने के सम्बन्ध में जानकारी

09-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के 53 महाविद्यालयों जिन्हें वर्ष 1996-97 के पूर्व स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्थायी सम्बद्धता प्राप्त हो गयी है और शिक्षक कर्मचारी भी शासन से अनुमोदित हो चुके हैं, को सरकार अनुदान सूची में लेने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सम्प्रति कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत अनुदान सूची पर लिया जाना प्राविधानित नहीं है।

10-श्री काली चरन सुमन-

[3सरे बुधवार के अता0 प्र0सं0-180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद वाराणसी के काशी विश्वनाथ मन्दिर में भवन निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

11-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या धर्मार्थ कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर में स्थित श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर के निकट ट्रस्ट द्वारा पुराना भवन खरीद कर दर्शनार्थी विश्रामालय प्रसाद वितरण केन्द्र एवं भस्म निर्माण स्थल आदि का निर्माण कार्य कराया जाना था जो इस समय बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कार्य कब तक आरम्भ कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विजय कुमार मिश्र)-

जी नहीं, कार्यवाही प्रचलित है।

भवन शासन द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है तथा शीर्घ ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत दी जा रही आर्थिक सहायता की धनराशि बढ़ाये जाने की मांग

12-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ऐसे परिवार जिनके मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को पारिवारिक लाभ योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में 20 हजार रुपये दिये जाने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या सरकार बढ़ती हुई मंहगाई को दृष्टिगत रखते हुए उक्त धनराशि को एक लाख रुपये करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां। शासनादेश संख्या-1881/26-2-2013 दिनांक 03 सितम्बर, 2013 द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता धनराशि रु0 20,000/- के स्थान पर रु0 30,000/- (रुपये-तीस हजार मात्र) की एकमुश्त आर्थिक सहायता धनराशि प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

जी नहीं।

शासनादेश दिनांक 03-09-2013 द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता धनराशि रु0 20,000/- से बढ़ाकर रु0 30,000/- की जा चुकी है। उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत उक्त धनराशि को बढ़ाकर रु0 एक लाख किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश के कतिपय जनपदों में भारी उद्योग की स्थापना कराये जाने की मांग

13-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर एवं देवरिया आदि जनपदों में आजादी के बाद से आज तक कोई भारी उद्योग न होने से उक्त जनपद आज तक विकास के मूलभूत लाभ से वंचित है एवं पूरा युवा वर्ग बेरोजगारी का शिकार है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निराकरण हेतु उक्त जिलों में भारी उद्योग की स्थापना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदेश के किसी भाग में भारी उद्योग की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। प्रदेश में औद्योगिकीकरण एवं पूंजी निवेश के प्रोत्साहन के उद्देश्य से अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 बनायी गयी है। इस नीति में प्रदेश के अन्य भागों की तुलना में पूर्वान्चल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली इकाइयों को अधिक छूट प्रदान किए जाने का प्राविधान किया गया है।

जनपद आगरा में मण्डी समिति द्वारा निर्मित अनेकों क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

14-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में इस्लामपुर से ब्रहमनगर कुशवाहों के नगला तक, शमशाबाद रोड़ से श्यामों चौराहा से लोधई बजेरा नहर तक तथा ककरारी रोड़ से नगला ककरारी नगला सीसिया तक मण्डी परिषद् द्वारा बनाई सड़के क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सम्पक्र मार्ग इस्लामपुर से ब्रह्म नगर कुशवाहों के नगला तक एवं सम्पक्र मार्ग शमशाबाद रोड से श्यामों चौराहा से लोधई बजेरा नहर तक मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित नहीं है।

शेष सम्पक्र मार्ग मण्डी परिषद् से निर्मित है एवं समयान्तराल के कारण मरम्मत योग्य है।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य आवश्यक प्राथमिकताओं के दृष्टिगत मरम्मत पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अगरा में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित आने वाली क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की जानकारी

15-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में ग्राम ककरारी में परिक्रमा मार्ग कालीचरन के घर से मन्दिर तक, जगनेर रोड़ नगला परमाल से नगला कारें एवं नगला परमाल से

नगला जयराम तक, नहर की माइनर ग्राम पंचायत मिढ़ाकुर से नगला भालरा एवं नगला गुजरा तक मण्डी परिषद् द्वारा बनायी गयी सड़के क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सम्पक्र मार्ग जगनेर रोड नगला परमाल से नगला कारे तक का मरम्मत कार्य माह नवम्बर, 2013 में कराया गया है एवं गड्ढोयुक्त नहीं है।

शेष सम्पक्र मार्ग समयान्तराल के कारण मरम्मत योग्य हैं।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य आवश्यक प्राथमिकताओं के दृष्टिगत मरम्मत पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में विधान भवन के सामने कार्यालय भवन निर्माण हेतु व्यय धनराशि के सम्बन्ध में जानकारी

16-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में विधान भवन के सामने उसी के अनुरूप एक भवन का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो उस पर कुल कितनी लागत आयेगी ? क्या यह सही है कि विधान भवन के सामने खाली पड़े स्थान को पर्यावरण की दृष्टि से खाली रखा जाना उपयुक्त था ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में पर्यावरण को बनाये रखने के लिए सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां, विधान भवन के सामने दारूलशफा परिसर में एक कार्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है।

उक्त कार्यालय भवन के निर्माण हेतु रु0 34157.73 लाख लागत की योजना अनुमोदित की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने की नीति का विवरण

17-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजी निवेश आक्रषित करने की शासन की कोइ नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अभी तक इस नीति में कहां-कहां निवेश आया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

शासनादेश संख्या-154/70-1-08-20(13)/2006, दिनांक 06-02-2008 द्वारा निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करते हुये दिशा निर्देश एवं मानकों का निर्धारण किया गया है। निजी प्रबन्धतन्त्रों द्वारा महाविद्यालयों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में भी शासनादेश संख्या-3075/सत्तर-2-2002-2(66)/2002, दिनांक 27-09-2002 द्वारा सुनिश्चित मानकों का निर्धारण किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करते हुये महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

उक्तानुरूप प्रदेश में निजी क्षेत्र में 18 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है तथा निजी क्षेत्र में कुल स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की संख्या कुल 3754 है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे के निर्माण की योजना के सम्बन्ध में जानकारी

18-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस-वे के निर्माण की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो वह कब शुरू होगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना सरकारी अथवा निजी यन्त्र द्वारा बनेगी ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

परियोजना के निर्माण हेतु निर्माणकर्ता के चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है। चयन के उपरापन्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

यह परियोजना सरकारी व्यय पर पूर्ण की जायेगी।

प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत ट्राइकोडर्मा की खरीद मूल्य के सम्बन्ध की जानकारी

19-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में वर्ष 2010 एवं 2011 में ट्राइकोडर्मा की खरीद हुई थी ? यदि हां, तो कितने मूल्य की ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ट्राइकोडर्मा की आपूर्ति करने वाली कम्पनी को मंत्रालय द्वारा लाइसेंन्स प्रदान किया गया था ? यदि नहीं, तो ब्लेक लिस्टेड कम्पनी को आपूर्ति प्रदान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

रु0 154.24 लाख (उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर)

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक/प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की परिक्षाओं की पुस्तिका का मूल्यांकन शुल्क एक समान किये जाने की मांग

20-श्री अनीसुर्ररहमान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक/प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मुल्यांकन हेतु परिक्षकों को मुल्यांकन शुल्क मात्र 37 पैसे की दर से दिया जाता है जबकि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की परिक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन शुल्क परिक्षकों को रु0 7.50 प्रति उत्तर पुस्तिका की दर से दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बढ़ती मंहगाई के दृष्टिगत समान रूप से सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की परिक्षकों की तरह 7.50 रु0 प्रति कापी की दर से समाज कल्याण विभाग के परिक्षकों को देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित/मान्यता प्राप्त औद्योगिक/प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्रों की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्याकंन हेतु परीक्षकों को मूल्यांकन शुल्क मात्र 37 पैसे प्रति परीक्षार्थी की दर से दिया जाता है।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में दी जा रही पारिश्रमिक की भांति समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्याकंन के शुल्क की दर में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, समाज कल्याण से प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथावश्यकता प्राविधिक शिक्षा विभाग/वित्त विभाग के परामर्श से अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

21-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में फतेहपुर सीकरी रोड़ वाया बिहार से ग्राम सूचेला तक, जगनेर रोड़ मलपुरा नहर माइनर बरारा मिढ़ाकुर तक, तथा ग्राम पंचायत कुण्डौल में परिक्रमा मार्ग होती हुई होतीलाल के घर से डूगर पप्पू कंट्रोल के घर तक मण्डी परिषद् द्वारा बनायी गयी सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सम्पक्र मार्ग फतेहपुर सीकरी रोड वाया बिहार से ग्राम सूचेला तक का निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा नहीं कराया गया है।

जनपद आगरा में सम्पक्र मार्ग जगनेर रोड मलपुरा नहर माइनर बरारा मिढ़ाकुर तक का निर्माण वर्ष, 1994 एवं मरम्मत कार्य वर्ष, 2004 में कराया गया था। उक्त सम्पक्र मार्ग के बरारा से

मिढ़ाकर वाले भाग का मरम्मत कार्य माह नवम्बर, 2013 में कराया गया है। समयान्तराल के कारण सम्पक्र मार्ग का शेष भाग बरारा से मलपुरा मरम्मत योग्य है।

सम्पक्र मार्ग ग्राम पंचायत कुण्डौल में परिक्रमा मार्ग होती हुई होतीलाल के घर से डूगर पप्पू कन्ट्रोल के घर तक का निर्माण कार्य वर्ष, 1995 मे एवं मरम्मत कार्य वर्ष, 2005 में कराया गया है, जो समयान्तराल के कारण मरम्मत योग्य है।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य आवश्यक विकास कार्यों की प्राथमिकताओं के दृष्टिगत इसकी मरम्मत पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की अनेकों क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

22-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में पथौली रोड से ग्राम सुचेता होकर सौ फिटा रोड तक नगला बिन्दु ग्राम पंचायत बरौली गूजर परिक्रमा मार्ग से बरौली गूजर तक घड़ी रद्दू ग्राम पंचायत बिसेरा कलां से ढेरई बाली तक मण्डी परिषद् द्वारा बनायी गयी सड़के क्षतिग्रस्त हैं, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सम्पक्र मार्ग पथौली रोड से ग्राम सूचेता होकर सौ फुटा रोड तक मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित नहीं है।

सम्पक्र मार्ग नगला बिन्दु ग्राम पंचायत बरौली गुजर परिक्रमा मार्ग से बरौली गूजर तक का चौड़ीकरण/पुनर्निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा करा दिये जाने के कारण मार्ग का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का है।

घड़ी रद्दू ग्राम पंचायत बिसेरा कला से डेरई बाली तक सम्पक्र मार्ग का निर्माण कार्य मण्डी परिषद् द्वारा किया गया है, जो समयान्तराल के कारण मरम्मत योग्य है।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य आवश्यक प्राथमिकताओं के दृष्टिगत मरम्मत पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं। इस हेतु अपेक्षित चिन्हित भूमि को आपसी समझौते के आधार पर क्रय करने हेतु जिलाधिकारी, बरेली के निवर्तन पर रु0 11.41 करोड़ की धनराशि दिनांक 05 मार्च, 2014 तक उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली में भारतीय वायुसेना का हवाई अड्डा पहले से ही कार्यशील है। सम्प्रति उसका नागरकि उड्डयन के प्रयोजन के लिये भी उपयोग करने के दृष्टिकोण से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वहां पर एक सिविल एन्क्लेव बनाये जाने की योजना है।

जनपद बरेली में सिविलयन हवाई अड्डे का निर्माण शीघ्र कराये जाने की मांग

23-डा0 अरूण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में प्रस्तावित सिविलयन हवाई अड्डे हेतु भूमि अध्यापन का कार्य धीमी गति से चल रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं एवं उक्त हवाई अड्डा कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। इस हेतु अपेक्षित चिन्हित भूमि को आपसी समझौते के आधार पर क्रय करने हेत जिलाधिकारी, बरेली के निवर्तन पर रु0 11.41 करोड़ की धनराशि दिनांक 05 मार्च, 2014 तक उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली में भारतीय वायुसेना का हवाई अड्डा पहले से ही कार्यशील है। सम्प्रति उसका नागरिक उड्डयन के प्रयोजन के लिये भी उपयोग करने के दृष्टिकोण से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वहां पर एक सिविल एन्क्लेव बनाये जाने की योजना है।

जनपद आगरा में मण्डी परिषद् की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

24-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में 90 ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उ0प्र0 मण्डी परिषद् की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं जिससे लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

आगरा, ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित 102 नग सम्पक्र मार्गों के विरुद्ध 23 नग सम्पक्र मार्ग समयान्तराल के कारण मरम्मत योग्य है।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य आवश्यक प्राथमिकताओं के दृष्टिगत मरम्मत पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में युवाओं के खेलकूद हेतु स्टेडियम का निर्माण कराये जाने की मांग

25-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में युवाओं के खेलकूद एवं शारीरिक विकास के लिए स्टेडियम के निर्माण कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

भारत सरकार के स्तर पर ब्लाक स्तर पर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स की योजना प्रस्तावित है। उक्त योजना का पूर्ण स्वरूप आने के पश्चात् राज्य सरकार की ग्रामीण स्टेडियम योजना पर यथोचित विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के गोविन्द बल्लभ पंत पी0जी0 कालेज प्रतापगंज में अनियमित नियुक्ति सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

26-श्री अनीसुर्ररहमान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 धर्मपाल सिंह सदस्य विधान सभा के कवरिंग पत्र दिनांक 04 जून, 2014 के साथ सलंग्न श्री बद्रीनाथ मिश्र प्रबन्धक गोविन्द बल्लभ पंत पी0जी0 कालेज प्रतापगंज जनपद जौनपुर का पत्र दिनांक 01 जून, 2014 जो उक्त महाविद्यालय में विभिन्न पदों पर अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में है, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश शासन के पत्र संख्या-वी0आई0109/सत्तर-6-2014-3-(60)/2014, दिनांक 24 जून, 2014 द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा को दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के नगरीय क्षेत्र में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना का कथित प्रकरण

27-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में विधान सभा क्षेत्र रुदौली के नगरीय क्षेत्र में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो इसे कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना में क्षतिग्रस्त गाड़ी की मरम्मत कराये जाने की मांग

28-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड-बबीना में वल्लमपुर रेलवे क्रासिंग से (नगरा हाट के मैदान तक) नगर निगम तक सड़क अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गई है

जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सम्पक्र मार्ग का 3.50 कि0मी0 भाग मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 2004 एवं 2005 में कराया गया है, जो समयान्तराल के कारण क्षतिग्रस्त है। शेष भाग अन्य विभाग से निर्मित है।

मण्डी परिषद् से निर्मित भाग पर मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य विकास कार्यों की प्राथमिकता के दृष्टिगत मरम्मत पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

[* * *]

[12.21] प्रश्नों के तक्र संगत एवं सुसंगत उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अब खन्ना जी आप व्यवस्था का प्रश्न उठाये हैं आप कहिये, यह कुछ नहीं है। आपका क्या कहना है आप सबका कुछ लिखा नहीं जायेगा, केवल खन्ना जी का लिखा जायेगा।

(श्री वीरपाल राठी द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

राठी जी मुझे बोलने दें।

माननीय अध्यक्ष जी, आज की कार्य-सूची में 8 तारांकित प्रश्न थे और मैं पीठ को बधाई देना चाहता हूं इस बात की कि जिस दिन से यह सत्र प्रारम्भ हुआ है आज पहली बार आठों प्रश्न उत्तरित हो गये हैं। दूसरी बात, मान्यवर, इस सूची में 20 प्रश्न हो सकते हैं और दो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न हो सकते हैं यह नियमों में व्यवस्था है। अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों की परम्परा धीरे-धीरे कम होती जा रही है उसको 29(4) में कनवर्ट करा लिया जाता है खैर उसके ऊपर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं विशेष रूप से दो बातों के लिए। नम्बर एक इसमें बहुत से प्रश्न ऐसे है अतारांकित में कि उसमें अगर ध्यान से देखा जाय तो वह भी तारांकित की श्रेणी में आ सकते हैं और दूसरा सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जिस पर मैं सबसे ज्यादा बल देना चाहता हूं कि हमारा यह अधिकार है कि प्रश्नों का तक्रसंगत, सुसंगत उत्तर हमको मिले। सत्ता पक्ष के पास इतना बड़ा बहुमत है कभी-कभी बहुमत का अत्याचार झेलना पड़ता है हम लोगों को। सवाल कुछ पूछा जाता है और जवाब कहीं का आता है। सवाल से उसका कोई सम्बन्ध नहीं, हम जिस चीज को जानना भी नहीं चाहते हमें जबरदस्ती उस बात को पढ़ाया जाता है। मान्यवर, हम पीठ का संरक्षण चाहते हैं कि कृपा करके हम जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर हमको नहीं मिलेगा और हमको इधर-उधर की बाते बताई जायेंगी। तो हम कृपा करके आपसे यह संरक्षण चाहते हैं कि सरकार को इस बात के लिए

नोट-[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

निर्देशित करें कि अगर हम जो विकलांग नेत्रहीन के बारे में पूछ रहे हैं तो उसका ही जवाब हमें मिलना चाहिए, उसके बारे में हमें दुनिया भर में घुमाया जाता है। मानसिक रूप से मान्यवर, विकलांग वह है जो तक्रसंगत उत्तर न देकर इधर-उधर के उत्तर की बात करते हैं। मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, आप तो मंत्री है आप क्यों बोलेंगे ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

अब दो मंत्री वह मंत्री जी अलग बोल रहे है आप अलग बोल रहे है।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, माननीय सदस्य सुसंगत प्रश्न पूछेंगे मंत्री सुसंगत शब्दों में उसका उत्तर देगा लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री को उत्तर देने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई सदस्य संतुष्ट नहीं है उत्तर से तो विभिन्न नियमावली में प्राविधान किये गये है, नियमावली में पूरी व्यवस्था है। मंत्री पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मित्र भाई सुरेश खन्ना जी ने जो बात कही है उस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं। उसमें सिर्फ एक बात, उसमें व्यवस्था आप देने जा रहे हैं, उससे सम्बन्धित था मैं उसका उत्तर दे रहा था तो मेरी बात सुनना मुनासिब होगा। उन्होंने जो बात कही वह ठीक है सचमुच में जो संदर्भों से अलग जा करके और बात करने की कोशिश करे उसको वही कहेंगे जिसको वह कह रहे है। मान्यवर, उनकी सलाह से मैं पूर्णतया सहमत हूं। अपने संदर्भ का जिसको स्वयं ध्यान नहीं रहे तो संदर्भों से अलग जाकर के अगर कोई अनर्गल बात करे तो उसको वही कहते है जो खन्ना जी ने कहा।

[12.24] जनपद मुजफ्फरनगर एवं शामली की मिल को चलवाने सम्बन्धी प्रकरण को लिए जाने का अनुरोध

श्री अध्यक्ष-

राठी जी, आपका क्या है।

श्री वीरपाल सिंह राठी-

माननीय अध्यक्ष जी, 1 दिसम्बर, 2013....

श्री अध्यक्ष-

हम जान गये आप जो कहेंगे।

श्री वीरपाल राठी-

अध्यक्ष महोदय, हमें कह लेने दीजिए। 1 दिसम्बर, 2013 को मील चलवाने के लिए कुछ किसान मेरे मुजफ्फरनगर और शामली में।

श्री अध्यक्ष-

यह कुछ नहीं है, बैठें।

श्री वीरपाल राठी-

मान्यवर, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

यह मिल चलाने का इसमें कहां आ गया। आप इसे नियमों में उठाइये, नियम-56, 301, 51, इसमें आप इसको लाइयेगा।

प्रश्नों के तक्रसंगत एवं सुसंगत उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-29 में जो माननीय खन्ना जी ने पूछा, मैं उससे हटकर बात पूछ रहा हूं। नियम-29 में अल्पसूचित प्रश्न का प्रावधान है और 29(1) में सचिव आपकी आज्ञा लेकर सरकार को भेजेंगे। दो में सरकार यदि सहमति देगी तो आप उसे कन्वर्ट कर देंगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। मैं इस बात की परिस्थिति का उल्लेख कर इस पर आपकी कृपापूर्ण व्यवस्था चाहता हूं। इस बार कुल 470 प्रश्न अल्पसूचित के नाम पर आपके सचिवालय को प्राप्त हुये। आपके सचिवालय ने 3.8 प्रतिशत प्रश्न यानि 18 प्रश्नों को अल्पसूचित के रूप में स्वीकार करके सरकार को भेजा और सरकार ने उन 18 प्रश्नों में से, दो का तो अभी उत्तर भी नहीं आया है, 13 यानि 72 प्रश्नों को 29(4) में परिवर्तित करा लिया। माननीय अध्यक्ष जी, आपका भी संरक्षण हमको चाहिये। प्रश्नकर्ता चाहे इधर के हों या उधर के हों। 3.8 प्रतिशत प्रश्न आपका सचिवालय स्वीकृत करें और उसके भी 72 प्रतिशत प्रश्नों को सरकार 29(4) में परिवर्तित करा ले, तो मैं इस पर आपकी कृपापूर्ण व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने खन्ना जी को भी सुना और अभी बाजपेयी जी भी उसी इश्यू पर बोल रहे थे। आपका अल्पसूचित तारांकित प्रश्न आता है, अगर वह केवल लखनऊ से सम्बन्धित है या मुख्यालय से सम्बन्धित है, तब तो उत्तर आसानी से मिल जाता है लेकिन अगर कहीं वह और जगहों से संबंधित है तो सरकार यह लिखती है कि उसका उत्तर हम इतने समय में नहीं दे पायेंगे, इसे तारांकित में परिवर्तित कर दिया जाय तो वह परिवर्तित कर दिया जाता है। अब इसमें जो है यह सरकार पर डिपेंड करता है कि वह प्रश्न का जवाब निर्धारित समय में दे पायेगी कि नहीं दे पायेगी, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपकी बात से सहमत हूं लेकिन आज ही एक तारांकित प्रश्न लगा है, मैंने उसको अल्पसूचित पूछा था, विधान सभा के ठीक सामने बनने वाले सचिवालय के संबंध में था। इसमें तो सूचना कहीं से नहीं मंगानी थी, इसे क्यों अल्पसूचित से तारांकित किया गया ?

श्री अध्यक्ष-

अरे आप पूछते कि उसमें कितना लोहा लगा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ तो उसके बारे में तो समय लगता। आप सरकार में भी रहे हैं और सरकार को अधिकार है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मैं अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा न अध्यक्ष जी, आपके अधिकार को चुनौती दे रहा हूं। लेकिन नियमावली का पालन करने में आपका कृपापूर्ण संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

चलिये संरक्षण रहेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

धन्यवाद।

(श्री वीर पाल राठी द्वारा कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आगे बढ़ने दीजिये।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

[* * *]

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, यह कुछ नहीं लिखा जायेगा। आप अपने वरिष्ठ का सम्मान करना समझिये।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा नाम लिया गया। यह प्रश्न उचित नहीं था। भारतीय संस्कृति में देवताओं के साथ अपने बड़ों को भी प्रणाम करने का अधिकार है, वहीं मैंने किया था।

श्री अध्यक्ष-

शेरू भैय्या का कुछ लिखा नहीं जायेगा।

(श्री वीर पाल राठी द्वारा पुनः कुछ कहने का प्रयास करने पर)

वीरपाल जी, वह नियमों की बात कर रहे थे, आप मिल चलाने का पूछ रहे हो तो यह कहां व्यवस्था हम देंगे।

(श्री वीरपाल राठी अपनी बात कहते हुये सदन के वेल में आ गये)

बैठो, बैठो और आप इसे नियम में उठाओ।

(राष्ट्रीय लोकदल के कई मा0 सदस्यों के अपने स्थान से खड़े होकर एवं सदस्य श्री वीरपाल राठी द्वारा सदन के वेल से अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

अभी मैं पहले इन सूचनाओं को ले लूं उसके बाद बताइयेगा।

नोट-[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(तत्पश्चात् मा0 सदस्य श्री वीरपाल राठी अपने स्थान पर वापस चले गये।)

[12.30] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 03-07-2014 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 48 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से 17 सूचनाएं स्वीकार की गईं।

पहली सूचना श्री इन्दल कुमार की, मा0 सदस्य के अनुपस्थित रहने पर।

दूसरी सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की कानपुर महानगर में गंगा किनारे स्थित जजेज कालोनी की जीर्ण-शीर्ण हालत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पढ़ी मानी गई।

तीसरी सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद की करोड़ों की लागत से बनी दो बन्द पड़ी लघु डाल नहरों को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, पढ़ी मानी गई।

चौथी सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर में व्याप्त विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है, पढ़ी मानी गई।

पांचवी सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया के ग्राम सभा पुर में चकबन्दी प्रक्रिया में की गयी अनियमितताओं को दूर किये जाने के सम्बन्ध में है, पढ़ी मानी गई।

छठी सूचना श्रीमती राजमती की जनपद गोरखपुर से पिपराइच व कप्तानगंज मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, पढ़ी मानी गई।

सातवीं सूचना श्री सुशील सिंह की जनपद चन्दौली के नरवन क्षेत्र के नरायनपुर पम्प कैनाल को चक्का बांध लिफ्ट जमनियां से सिंचाई हेतु पानी दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, पढ़ी मानी गई।

आठवीं सूचना श्री विजय कुमार पासवान की जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम मारू खरमकला बांध बूढ़ी राप्ती ककरही गोहना बांध के निर्माण के दौरान किसानों की अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, पढ़ी मानी गई।

नवीं सूचना श्री सतीश कुमार निगम की नगर निगम लखनऊ द्वारा अपाहिज विधवा को वर्ष 2012 से पारिवारिक पेंशन का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है, पढ़ी मानी गई।

दसवीं सूचना श्री जगराम पासवान की जनपद बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम रीगा के गाटा संख्या 161 रकबा 0.069 हे0 के भू-मालिक को बेदखल किये जाने के सम्बन्ध में है, पढ़ी मानी गई।

ग्यारहवीं सूचना श्री अखिलेश प्रताप सिंह की जनपद अमेठी की तहसील गौरीगंज में ग्राम माधोपुर की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पढ़ी मानी गई।

बारहवीं सूचना श्री विजय कुमार दूबे की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा की कतिपय गढ्ढा युक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, पढ़ी मानी गई।

तेरहवीं सूचना श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की जनपद बस्ती के नगरपालिका क्षेत्र में सीवर लाईन बिछाये जाने तथा शहर के पानी की निकासी हेतु समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, पढ़ी मानी गई।

चौदहवीं सूचना श्रीमती रजनी तिवारी की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के विकास खण्ड भरखनी अन्तर्गत हथौड़ा से सेढ़पुल तक के क्षतिग्रस्त मार्ग के डामरीकरण कराये जाने एवं उक्त सम्पक्र मार्ग को जलालाबाद से जोड़े जाने के सम्बन्ध में है, पढ़ी मानी गई।

पन्द्रहवीं सूचना श्री प्रभुदयाल वाल्मीकी की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर नगरपालिका परिषद् एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क के निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पढ़ी मानी गई।

सोलहवीं सूचना श्री सुनील कुमार लाला की जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र कस्ता में विद्युत सप्लाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, पढ़ी मानी गई।

सत्रहवीं सूचना श्री पूर्णमासी देहाती की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, पढ़ी मानी गई।

श्री अध्यक्ष-

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं :-

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री ममतेश शाक्य, श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री रवि शर्मा, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री मनबोध, श्री राजबली जैसल, श्री अनिल कुमार, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री गुटियारी लाल दुवेश, श्री बृजेश कुमार, श्री सन्तराम कुशवाहा, श्री गजेन्द्र सिंह, श्री काली चरन सुमन, श्री उमाशंकर, श्री त्रिलोकी राम, श्री दलवीर सिंह, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री उमेश पाण्डेय, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री मदन चौहान, डा0 अरुण कुमार एवं डा0 राधामोहन दास अग्रवाल।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

कानपुर महानगर में गंगा किनारे स्थित जजेज कालोनी की जीर्ण-शीर्ण हालत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

[महोदय, कानपुर में गंगा के किनारे जजेज कालोनियां अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, मकानों के प्लास्टर उखड़कर गिर रहे तथा मकानों में दरारें आ गयी हैं। इसी प्रकार से छावनी विधान सभा के अन्तर्गत 4 ट्रैफिक पुलिस लाइन एवं छावनी के पीछे स्थित पुलिस लाइन कालोनी एवं कचहरी कानपुर नगर के ए0सी0एम0 अधिकारियों की कालोनियां भी जर्जर हालत में। इन कालोनियों में सीवर जाम सड़क में जगह-जगह गड्ढे, मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था का न होना अव्यवस्था का परिचायक है। इन कालोनियों की दशा बहुत खराब है। बरसात के समय मकानों के गिरने का भी भय है जिससे अप्रिय घटना भी हो सकती है। उक्त कालोनियों को मरम्मत कार्य एवं मार्ग प्रकाश तथा सड़क निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद फैजाबाद की करोड़ों की लागत से बनी दो बन्द पड़ी लघु डाल नहरों को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[महोदय, जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत डीह नौगवां व नैरोजपुर बघेड़ी लघु डाल नहर वर्ष 1977 में एक गोमती नदी से तथा दूसरी कल्याणी नदी से पम्पिंग स्टेशन की स्थापना करके किसानों की असिंचित भूमि की सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये स्थापित की गयी थी, इन दोनों लघु डाल नहरों से अब तक मात्र लगभग 500 मी0 की लम्बाई तक ही पानी पहुंच पा रहा है जबकि पूरी लम्बाई में पानी पहुंचाने के लिये इन दोनों पम्पिंग स्टेशनों को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित रहे इसलिये अलग से विद्युत विभाग से करार करके विद्युत लाइन का निर्माण किया गया था परन्तु लो-वोल्टेज की गम्भीर समस्या अभी भी है। दोनों लघु डाल नहरों के संचालन के लिये पूरा स्टाफ भी तैनात है चूंकि इनका संचालन लखनऊ खण्ड से हो रहा है जिसके कारण कभी कोई अधिकारी वहां जाता ही नहीं। वर्षों से बन्द पड़ी इन दोनों लघु डाल नहरों को चलाने के लिये क्षेत्रीय किसानों ने लगातार अधिकारियों से मिलकर मांग भी किया परन्तु अभी तक सिंचाई विभाग द्वारा इस समस्या के समाधान के लिये कोई उपाय नहीं किया गया। पिछले 10 वर्षों से सफाई का कार्य भी नहीं कराया गया है। जिसके कारण पूरे क्षेत्र के किसानों का सिंचाई कार्य बाधित हो रहा है। इससे क्षेत्रीय किसानों में भयंकर आक्रोश है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत डीह नौगवां व नैरोजपुर बघेड़ी लघु डाल नहर के सुचारु रूप से संचालित हेतु प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर में व्याप्त विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र के सिकन्द्राबाद नगर में पक्काबाग, ज्ञानलोक कालोनी, सराय झांझन, टीचर्स कालोनी आदि मोहल्लों में 100 से 150 मीटर लम्बी विद्युत केबिलों के द्वारा नियम विरुद्ध विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। इन केबिलों के बीच में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत खम्भे नहीं लगाये हैं जिसके कारण अक्सर विद्युत केबिल टूट कर गिरती रहती है और विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। इसके कारण कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त नगर के बड़ा बाजार तथा अन्य बाजारों में विद्युत तार जर्जर स्थिति में है। सिकन्द्राबाद नगर तथा उसकी कालोनियों में सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति हेतु तथा विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने हेतु नये खम्भों का लगना तथा तारों को बदलना, लगना अत्यन्त आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के ग्राम सभापुर में चकबन्दी प्रक्रिया में की गयी अनियमितताओं को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[महोदय, बलिया जनपद में जनपद के सबसे बड़े क्षेत्रफल के बड़े गांव ग्राम सभापुर में चकबन्दी प्रक्रिया 1982 में प्रारम्भ हुई थी। परन्तु 2013-2014 तक इस ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी है इस गांव में दर्जनों बड़े-बड़े मजरे एवं गांव हैं जहां गरीब एवं पिछड़े वर्ग दलित के लोग रहते हैं। कुछ तथाकथित बड़े लोग चकबन्दी विभाग पर अपना दबदबा बनाकर मनमाने ढंग से मालियत बहुत बढ़ाकर लगाई गयी एवं इनका चेक नालों में देने का सन्दर्भ भी बना दिया गया, गरीब एवं कमजोर लोग चकबन्दीकर्ता एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी के प्रकोप के शिकार हो गये हैं। ग्राम सभापुर के ग्राम जगदरा, उसखा, योगेसरा, गौरनिया, बनकटा आदि गांवों के लोग अपने चकों एवं मालियत से वंचित रह गये हैं। सैकड़ों काश्तकारों का उड़ान चक बना दिया गया है। इस ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया में घोर अनियमितता बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने किया। जब गरीब किसान चक अपील दाखिल किया। तो इनके दाखिले बिना सुनवाई किये खारिज कर दिया गया है परन्तु उपरोक्त ग्राम में आबादी खेल का मैदान स्कूल हास्पिटल एवं अन्य सरकारी कार्य के लिये उपयोग हेतु जमीन भी नहीं छोड़ी गयी है। जनता में गहरा असन्तोष है लोग प्रार्थना-पत्र लेकर घेराव, प्रदर्शन करके थक गये हैं इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल चकबन्दी प्रक्रिया में घोर बरती गयी अनियमितता की आयुक्त स्तर से अधिकारी मौके पर कैम्प लगाकर जांच करके त्रुटियों को ठीक करें एवं गरीब लाचार पीड़ित किसानों को न्याय दिलाने की कृपा करें ताकि इस ग्राम की जनता को आक्रोश को शान्त किया जा सके। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है इसका गम्भीरता से संज्ञान में लेते हुए सरकार से अविलम्ब कार्यवाही करने हेतु निर्देश देने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में किसानों ने मा0 न्यायालय की भी शरण लिया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है।]

जनपद गोरखपुर से पिपराइच व कप्तानगंज मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती राजमती-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद गोरखपुर से पिपराइच व कप्तानगंज मार्ग मरम्मत न होने के कारण जगह-जगह टूटकर गड्ढा में तबदील हो गयी है। जिससे आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है।

अतः मेरी मांग है कि गोरखपुर, पिपराइच, कप्तानगंज मार्ग को जनहित में उच्चीकरण और चौड़ीकरण कराये जाने के निर्देश सरकार को देने का कष्ट करें।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चन्दौली के नरवन क्षेत्र के नरायनपुर कैनाल को दिया बांध लिफ्ट जमानियां से सिंचाई हेतु पानी दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुशील सिंह-

[महोदय,

मैं आपका ध्यान जनपद चन्दौली, के नरवन क्षेत्र के नरायनपुर पम्प कैनाल से सिंचाई हेतु पानी मिलता है जो नरवन क्षेत्र नरायनपुर पम्प कैनाल से टेल अन्तिम छोर पर है। नरवन क्षेत्र से सटा चक्का बांध लिफ्ट जमानियां है। नरवन क्षेत्र (बरहनी, सैयदराजा) को चक्का बांध जमानियां से सिंचाई हेतु पानी देने के लिये लगभग 35 करोड़ रुपये की परियोजना बनायी गयी है लेकिन अभी तक जनहित में उक्त परियोजना को लागू कराने में ठीक कदम नहीं उठाए गए हैं, जिससे उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अतः सदन के माध्यम से लोक अविलम्बनीय के विषय पर सादर अनुरोध है कि नरवन क्षेत्र को चक्का बांध लिफ्ट जमानियां से सिंचाई हेतु पानी देने व परियोजना को चालू कराने की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम मारु खरगकला बांध बूढ़ी राप्ती ककरही गोहना बांध के निर्माण के दौरान किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार पासवान-

[महोदय,

आपका ध्यान अपने विधान सभा कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थ नगर के ग्राम मारु खरगकला बांध बूढ़ी राप्ती ककरही गोहना बांध बनाया गया है। जिसमें गांव के किसानों की अधिग्रहण की गयी जमीन का मुआवजा आज तक नहीं मिल पाया है। वहां के किसान भुखमरी के कगार पर आ गये हैं। जिससे गांव के जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से उक्त बांध के लिये की गयी अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा किसानों को यथाशीघ्र दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

नगर निगम लखनऊ द्वारा अपाहिज विधवा को वर्ष 2012 से पारिवारिक पेंशन का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट'-

[महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे आपसे यह कहना है कि स्व0 हफीजुल्ला पुत्र स्व0 गुलाम मोहम्मद जो नगर निगम लखनऊ के वजीरगंज वार्ड में भिश्ती के पद से सेवा निवृत्त हुए थे इनका पेंशन पी0पी0ओ0 नं0-3307 है। इनकी मृत्यु दिनांक 19 अक्टूबर,

---

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2012 को हो गयी थी, जिसकी सूचना व पारिवारिक पेंशन हेतु दिनांक 20-11-2012 को विभाग को मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ दे दी गयी थी।

उपरोक्त की अपाहिज विधवा श्रीमती ताहिरा खातून म0नं0-584ख/979 तेलीबाग लखनऊ जो पड़ोसियों के रहमो करम पर जिन्दा है किन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक इनके पारिवारिक पेंशन का भुगतान विभाग द्वारा नहीं कराया जा रहा है।

इस लोक महत्व के प्रश्न पर अपाहिज विधवा के पेंशन प्रकरण में विलम्ब के कारणों की जांच करा कर उसे वर्ष 2012 से पारिवारिक पेंशन दिलाने हेतु इसे नियम-301 में उठाने हेतु आपकी स्वीकृति चाहता हूं।]

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम रीगा के गाटा सं0 161 रकबा 0.069 हेक्टेयर के भू-मालिक को बेदखल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगराम पासवान-

[महोदय,

मैं सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम रीगा के गाटा संख्या-161 रकबा 0.069 हे0 भू-मालिक श्री गिरधारी लाल को गांव के ही स्थानीय दबंगों श्री बालगीर पुत्र स्व0 स्वामीदीन एवं श्री रामरुच पुत्र श्री बालगीर द्वारा बेदखल उक्त भूमि पर अवैध कब्जा प्राप्त कर लिया है। काफी प्रयासों के बाद भी इन लोगों ने भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है। जिससे गांव के अन्य ग्रामवासी आतंकित हैं तथा आमादा फौजदारी के भय से पीड़ित है।

अतः इस इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये नियम विरुद्ध अवैध तरीके से कब्जा की उक्त भूमि का कब्जा भू-स्वामी श्री गिरधारी लाल को दिलाये जाने एवं श्री बालगीर पुत्र स्व0 स्वामीदीन एवं श्री रामरुच पुत्र श्री बालगीर पर प्राथमिकी दर्ज किये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद अमेठी की तहसील गौरीगंज ग्राम साधोपुर की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

[महोदय,

जनपद-अमेठी के तहसील गौरीगंज में ग्राम-माधोपुर में गाटा संख्या-403/0.021 हेक्टेयर भूमि श्रेणी-5-1 के अन्तर्गत नवीन परती के खाते में अंकित भूमि को कुछ लोगों द्वारा गलत तरीके से अपने पक्ष में हस्तान्तरण कार्यालय, उप जिलाधिकारी, गौरीगंज, जनपद-अमेठी ने जांचोपरान्त तहसीलदार गौरीगंज को 21 जून, 2014 को यह निर्देशित किया था कि दोषियों के खिलाफ समुचित कार्यवाही करें एवं बैनामा का निरस्तीकरण कर दें, किन्तु उक्त प्रकरण पर अभी तक कोई कार्यवाही न

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

होने से यहां के निवासियों में रोष है। इसलिए उक्त प्रकरण पर निर्देशानुसार शीघ्र कार्यवाही किया जाना अति-आवश्यक है। प्रकरण जनहित एवं लोकमहत्व का है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा की कतिपय गड्डायुक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में विषय-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार दुबे-

[मान्यवर,

अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, 329, खड्डा विधान सभा क्षेत्र, जिला-कुशीनगर अन्तर्गत खैरी ग्राम सभा के निवासी फखरुद्दीन पुत्र श्री तजमुल का दिनांक 06 जून, 2013 को सर्पदंश से मृत्यु हो गयी थी। दिनांक 07 जून, 2013 को पोस्टमार्टम हुआ था। उक्त निर्धन परिवार को कृषक दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से सरकारी अनुदान प्रदान किये जाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 09 जून, 2013 को रजिस्ट्रेशन भी कराया गया था। किन्तु स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता के कारण अभी तक उक्त निर्धन परिवार को कृषक दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता नहीं प्राप्त हो सकी है, इसलिए सरकार शीघ्र उक्त योजना अन्तर्गत पीड़ित परिवार को समुचित आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना अति-आवश्यक है। प्रकरण अविलम्बनीय, लोकमहत्व एवं जनहित का है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बस्ती के नगर पालिका क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाये जाने तथा शहर के पानी की निकासी हेतु समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी-

[मान्यवर,

अवगत कराना है कि जनपद-बस्ती के विधान सभा क्षेत्र 310, बस्ती सदर के नगर पालिका के अन्तर्गत सीवर लाइन न होने के कारण वहां पानी निकासी न होने से वहां की स्थानीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सड़क पर सीवर का गन्दा पानी बहता रहता है। दूषित पानी सड़कों एवं आसपास के घरों में पानी भर जाता है जिसके कारण वहां पर निवास करने वाली जनता को गन्दे पानी के भराव के कारण संक्रमण पैदा होने से आये दिन भयंकर बीमारी से पीड़ित रहते हैं एवं दूषित पानी भराव के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनता आये दिन धरना प्रदर्शन करती रहती है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त नगरपालिका क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाये जाने की कार्यवाही/ वक्तव्य की मांग करता हूं]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के विकास खण्ड भरखनी अन्तर्गत हथौड़ा से सेढपुल तक के क्षतिग्रस्त मार्ग को डामरीकरण कराये जाने एवं उक्त सम्पक्र मार्ग को जलालाबाद से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती रजनी तिवारी-

[मान्यवर,

संज्ञान में लाना चाहूंगी कि जनपद-हरदोई के मेरे विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के विकास खण्ड-भरखनी के अन्तर्गत हथौड़ा से सेढपुल तक (ल0 लगभग 1.00 कि0मी0) क्षतिग्रस्त होने से एवं उक्त सड़क को जलालाबाद से न जोड़ने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें जलालाबाद जाने हेतु 15 कि0मी0 अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। क्षेत्रीय जनता ने उक्त सड़क का निर्माण करने एवं उक्त सड़क को जलालाबाद से सीधे जोड़ने हेतु कई बार स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया गया परन्तु अभी तक उक्त सड़क के डामरीकरण एवं सड़क को जलालाबाद से जोड़ने हेतु शासन द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उपरोक्त सड़क का डामरीकरण एवं जलालाबाद से जोड़ने की मांग करती हूं।]

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर नगरपालिका परिषद् एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क के निर्माण में की गई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभूदयाल बाल्मीकि-

[मान्यवर,

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र हस्तिनापुर जनपद मेरठ की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। हस्तिनापुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद मेरठ में मवाना स्टेट हाइ-वे पर हाट मिक्स मशीन से सड़क का निर्माण कराया गया था। जिस पर नगर पालिका परिषद् मवाना ने भी स्टेट हाइ-वे सड़क पर ही पुनः मैस्टिक से निर्माण कार्य करा दिया। मान्यवर, जहां ये सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने की ओर प्रयासरत हैं वहीं इन दोनों विभागों के अधिकारी/कर्मचारी तथा ठेकेदार जनता के पैसों का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं।

इस गम्भीर घटना पर मैं नगर पालिका परिषद् एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये उक्त सड़क का पूरा पैसा रोककर यदि भुगतान हो चुका है तो ठेकेदारों से वसूली करके दोनों विभागों के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर एवं इनके खिलाफ विभागीय जांच तथा इनके संपत्ति की जांच किये जाने एवं दोनों विभागों के संबंधित ठेकेदारों का लाइसेन्स तत्काल निरस्त कर इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की मांग करता हूं]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र बस्ता में विद्युत सप्लाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुनील कुमार लाला-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र कस्ता लखीमपुर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जहां पर वर्ष 2010 में 33 केवीए पावर हाउस मढिया बाजार के नाम से स्वीकृत हुआ था। जिसमें सिविल कार्य भी पूरा हो चुका है। मेरे द्वारा कई बार पत्र दिया गया एवं मौखिक भी कहा गया परन्तु यहां के अधिकारी बार-बार तार चोरी होने की बात कह रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि 2010 से अब तक तार ही नहीं डाले है और यहां के अधिकारी एवं ठेकेदार मिलकर तार बेच रहे हैं। जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। मेरे द्वारा कई बार इस हेतु भी प्रार्थना-पत्र दिया गया परन्तु इन अधिकारियों एवं ठेकेदारों के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। मान्यवर मैं आपके माध्यम से सदन की ध्यान कस्बा मैंगलगंज तथा फत्तेपुर की ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं। जहां पर विद्युत लाइन अत्यन्त जर्जर अवस्था में है। यहां पर आये दिन तार टूटकर नीचे गिर रहे हैं और कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

अतः उक्त विषय पर मैं पावर हाउस मढिया के दोषी अधिकारी एवं ठेकेदारों के ऊपर कठोर कार्यवाही एवं इसे तत्काल ठीक कर विद्युत सप्लाई दिये जाने तथा कस्बा मैगलगंज एवं फत्तेपुर के जर्जर तारों को तत्काल ठीक किये जाने हेतु सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी देहाती-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र रामकोला में कप्तानगंज से नौरंगिया मार्ग व रामकोला से सिंगहा मार्ग मरम्मत न होने से गड्ढों में तबदील हो गया है। और जनता को चलना मुश्किल हो गया है। इस सम्बन्ध में अनेकों बार सम्बन्धित अधिकारियों से बात की गयी, लेकिन इसका कोई रिस्पान्स नहीं मिला, जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः अनुरोध है कि यह दोनों मार्गों का शीघ्र मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

[12-31] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 03 जुलाई, 2014 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 05 सूचनाएं प्राप्त हुई।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पहली सूचना श्री सतीश महाना की विधान सभा में उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण उनसे सम्बन्धित समितियों की बैठक न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री सलिल बिश्नोई की कानपुर महानगर में व्याप्त पेयजल के संकट के निवारण विषयक नियम-301 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सन्दर्भ में मा0 नगर विकास मंत्री द्वारा दिये गये लिखित आश्वासन के बावजूद कोई निराकरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के दुरुपयोग को रोकने के लिए जांच समिति बनाये जाने के सम्बन्ध में।

चौथी सूचना श्री ललितेशपति त्रिपाठी की उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के भूतपूर्व माननीय सदस्यों की पेंशन बढ़ाये जाने तथा प्रतिवर्ष 2 लाख रुपये के रेल कूपन जारी किये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवी सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद-चन्दौली के डी0एफ0ओ0 द्वारा मा0 सदस्य के प्रति की गई अभ्रदता विषयक उनके पत्र पर कोई कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

[12-32] विधान सभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण उनसे सम्बन्धित समितियों की बैठक न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, इस विधान सभा में आपका पद सर्वोच्च होता है और आपका मान और आपका आदर स्वाभाविक रुप से हम सब करते हैं। मान्यवर, यह प्रश्न मैंने पिछले विधान सभा सत्र में भी औचित्य के प्रश्न के रुप में उठाया था। मान्यवर, नियमावली में भी और संविधान में भी इस बात की स्पष्ट व्यवस्था है कि अध्यक्ष के साथ-साथ इस विधान सभा में एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जायेगा जो मा0 उपाध्यक्ष होंगे वह कई महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष भी होते हैं और उसके नाते उन समितियों की देखरेख और उनका सीधा कार्य करने का उनको अधिकार प्राप्त है। मान्यवर, इसे सरकार की हठवादिता कह दूं या आपके उस पद को, आपको सहयोगी न देने का षडयन्त्र कह दूं। मान्यवर, यह दो बातें हैं, मा0 अध्यक्ष जी, मैंने सोचा था कि इस विधान सभा सत्र में इसको नहीं लाऊंगा लेकिन जब से यह बजट सत्र हुआ है तब से मैंने देखा कि सवेरे प्रातः से आप व्यस्त हो जाते हैं क्योंकि आपके पास सूचनाएं आती है और आपको उन्हें देखना होता है, सवेरे 9 बजे से लेकर साढ़े 10 बजे तक आपके पास काम का कितना बोझ होता है, हम सब उसको देखते भी है और उसको समझते भी हैं। इसके साथ-साथ कल जो परिस्थितियां देखीं तो कदाचित् मुझे ऐसा लगा कि आपका कुछ स्वास्थ्य ढीला है क्योंकि हमेशा आप प्रसन्नचित मुद्रा में रहते हैं और कल भी थे लेकिन कल जितना आप उठकर गये उसके पहले आप नहीं उठ करके गये। इसलिए कल मेरे संज्ञान में लाना चाहिए कि वह जो कुर्सी है जो खाली पड़ी रहती है, कई बार हमारे सम्मानित लोग विधान सभा में आते हैं, चाहे दर्शकदीर्घा के माध्यम से आते हैं या किसी और माध्यम से आते हैं तो वह पूछते हैं कि वह कुर्सी किसके लिए है। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तय है, नेता सदन की कुर्सी तय है कि मा0 उपाध्यक्ष की कुर्सी भी तय है उस कुर्सी पर कोई बैठता नहीं है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस बात को

दृढ़ता के साथ उठाना चाहता हूं कि संविधान में जिस चीज की व्यवस्था हो उसका सरकार पालन न करे, नियमावली में भी मा0 उपाध्यक्ष का पद सृजित है उसका सरकार को नहीं ध्यान है। मुझे मालूम है आप स्वाभाविक रुप से इसकी व्यवस्था देंगे कि जो मा0 उपाध्यक्ष की समितियां होती है उसमें आप मनोनयन कर देते हैं और किया भी है आपने। वह आपका अधिकार है उसमें मैं एक बिन्दी भी नहीं लगा सकता, वह आपका अधिकार है। लेकिन जो जिसका काम है अगर वही उस काम को करे तो शायद प्रभावी ढंग से कर सकता है। तो सरकार को हठधर्मिता छोड़कर उस उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि तय करनी चाहिए, जो आपके सहयोग के लिए है और पद की गरिमा है, वह पद खाली नहीं रहना चाहिए इसलिए मैं आपके माध्यम से यह औचित्य का प्रश्न है तात्कालिक है क्योंकि यहां पर मैं जिस समय देख रहा था तो उपाध्यक्ष थे नहीं इसलिए मुझे लगा कि तात्कालिक है और इससे ज्यादा तात्कालिक हो ही नहीं सकता था।

श्री अध्यक्ष-

यह तो बहुत दिनों से है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, वैसे तो बहुत दिनों से देख रहा था लेकिन कल विशेष निगाह गयी, इसके कारण मैंने यह औचित्य का प्रश्न लगाया। इस औचित्य के प्रश्न के ऊपर आपने हमारी बात सुनी, मुझे लगता है कि आप सीधे सरकार को निर्देश देंगे, कोई तिथि तय करेंगे और उस तिथि में चुनाव होगा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जी मान्यवर, मेरी बड़ी परेशानी है, आप जो कहें कह दूं।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, मैं ही कह देता हूं। माननीय महाना जी, आपने जो कहा कि उपाध्यक्ष कई समितियों के अध्यक्ष होते हैं इस कठिनाई को देखते हुए इस नियमावली में परिवर्तन किया गया है और इसमें नियम-201 का नया उप नियम-(4) रखा गया है जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की दशा में जिन समितियों में उपाध्यक्ष सभापति होते हैं उन समितियों को अध्यक्ष विधान सभा द्वारा अपने अथवा अन्य समिति के सभापतियों के सभापतित्व में सम्बद्ध किया जाता है और यह सब कर दिया गया है। काम रुका कहां है ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि काम रुका हुआ है। आपने जो व्यवस्था दी है उसको जिस समय मैंने अपनी बात कह रहा था तो मैंने कहा था कि आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं और वह आपने कर दिया। मान्यवर, हम आपकी मदद कर रहे हैं और आप मदद नहीं लेना चाहते।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठिये, यह प्रश्न बहुत उठता रहा है और प्रमोद तिवारी जी इसे हर सत्र में उठाते थे। श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' जी विशेष उल्लेख में कुछ कहना चाहती हैं, बताइये।

[12-37] दहेज उत्पीड़न में परिवार के अन्य सदस्यों को गिरफ्तारी से पीड़ितों को न्याय न मिलने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विशेष सूचना पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। कल भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को यह निर्देश दिये हैं कि धारा-498 आई0पी0सी0 पर तत्काल गिरफ्तारी न की जाए जब तक धारा-41 सी0आर0पी0सी0 के तहत पर्याप्त कारण न हों, आधार न हों, साक्ष्य न हों तथा कारणों से संतुष्ट न हों। मान्यवर, मैं एक महिला हूं और महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ लड़ना, उनका हक दिलाना मेरी प्राथमिकता है। प्रदेश में सदन में कई बार चिन्ता व्यक्त की है कि दहेज के नाम पर उत्पीड़न में जहां पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है वहीं घर के अविवाहित नन्दें जो कि 9-10-11 साल की होती है जेल में चली जाती है, वृद्ध सास-ससुर, दादा, दादी यहां तक कि ददिया श्वसुर और विवाहित नन्दें जो अन्य घरों में शादी होकर जा चुकी है उनका नाम भी लिखा दिया जाता है। उसका परिणाम यह होता है कि साक्ष्य न होने के कारण जो पीड़ित हैं उसको न्याय भी नहीं मिल पाता। परन्तु सरकार धारा-498 के तहत अपने हाथ बंधे होने की बात सदन में कई बार पहले भी कह चुकी है। मा0 अध्यक्ष महोदय, आपने भी कई बार इस पर चिंता जताई है, कई सम्मानित सदस्यों ने भी इस पर चिंता जतायी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं बल देना चाहती हूं कि जो निर्दोष लोग इसमें जेल चले जाते हैं यह जो नया आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय का आया है उसमें मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं और सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय का आदेश ऐतिहासिक है इसका अध्ययन होना चाहिए और प्रदेश के महाधिवक्ता से राय लेकर तत्काल निर्देश जारी होने चाहिए जिससे जेल में बन्द निर्दोष लोगों को इससे छुटकारा मिल सके उसको न्याय मिल सके लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं मांग करती हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए।

जनपद मुजफ्फरनगर एवं शामली की मिल को चलवाने सम्बन्धी प्रकरण को लिये जाने का अनुरोध... (क्रमागत)

श्री वीरपाल राठी-

मान्यवर, मेरा किसानों से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण सवाल है। जनपद मेरठ, जनपद मुजफ्फरनगर और जनपद शामली।

श्री अध्यक्ष-

आप किस नियम में उठा रहे हैं।

श्री वीरपाल राठी-

मैं जीरो आवर में उठा रहा हूं। नियम-56 में मैंनें लिखकर दिया था लेकिन वह स्वीकार नहीं हुआ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अभी नियम-56 आएगा उस समय हम बताएंगे। 56 का विषय तो आने दीजिए।

श्री वीरपाल राठी-

मान्यवर, इसे 56 में ले लें।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 आने दीजिए उस समय हम सुन लेंगे। इस समय बैठ जाएं।

श्री वीरपाल राठी-

नियम-56 में यह रिजेक्ट हो गया।

श्री अध्यक्ष-

जब नियम 56 में रिजेक्ट हो गया तो जबरदस्ती उठाएंगे।

श्री वीरपाल राठी-

इतने समय में मैं कह देता।

श्री अध्यक्ष-

जब 56 आएगा उस समय खड़े हो जाइएगा हम बतायेंगे।

[12.42] उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2013-2014) का प्रथम प्रतिवेदन†

श्री अब्दुल मशहूद खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा का प्रतिनिहित विधायन समिति (2013-2014) का प्रथम प्रतिवेदन जो परिवहन विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग से संबंधित अधिसूचनाओं/विज्ञप्तियों एवं नियमावलियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4, मद-5, मद संख्या-6 में कुछ नहीं है।

[12-43] उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 †

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

† दिनांक 08 जुलाई, 2014 के असाधारण गजट की विधायी परिशिष्ट में छपा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरः स्थापित करता हूं।

11 कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुईं एक सूचना है जिस पर सभी दल के सदस्यों ने माननीय नेता विरोधी दल के साथ उनकी पार्टी के लोगों ने, माननीय सतीश महाना के साथ उनके दल के बहुत सदस्यों ने और प्रदीप माथुर के साथ उनके दल के अनेक सदस्यों ने हस्ताक्षर किये है विषय है भारत के नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में प्रदेश में पार्कों व स्मारकों के निर्माण एवं महा-कुम्भ मेला, 2013 इलाहाबाद में की गई अनियमितताओं पर प्रभावी कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रामगढ़ ताल, झील, गोरखपुर के सौन्दर्यीकरण योजना के सही ढंग से कार्यान्वित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

तीसरी सूचना श्री दलवीर सिंह एवं अन्य की प्रदेश के कतिपय जनपदों में बालू, एवं मिट्टी के अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। ध्यानाकर्षण होगा श्रीमती सीमा द्विवेदी की सूचना पर जो कि जनपद जौनपुर के थाना सिंगरामऊ अन्तर्गत ग्राम मिसरौली में आवागमन हेतु आम रास्ता रोक दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। शेष माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं।

माननीय नेता विरोधी दल और सभी दलीय नेता, आप यह जानते हैं कि जो सी0ए0जी0 की रिपोर्ट होती है वह कई माध्यम से सदन के पटल पर आती है और सदन के पटल से घूमकर इसकी जो छोटी कमेटी होती है पी0ए0सी0 के पास जाती है और पी0ए0सी0 उस पर जांच करके अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखती है। सदन उस पर फिर जो चाहे वो चर्चा कर सकता है। यह अभी सदन से पी0ए0सी0 में गई नहीं इसलिये पहले से चर्चा करने का क्या औचित्य है। इसलिये, यह अच्छा नहीं है (कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर व्यवधान)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने एक बात कही है, मैं उस पर अपनी बात कह लूं फिर स्वीकार करना नहीं करना आपका अधिकार है।

श्री अध्यक्ष-

फिर तो चर्चा हो जायेगी ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, चर्चा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं औचित्य की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये बैठिये। पी0ए0सी0 जब इसको सदन में रखा जाता है तो फिर सदन से यह पी0ए0सी0 में जाता है। पी0ए0सी0 जब उस पर रिपोर्ट सदन में रखती है, तब उस पर चर्चा होती है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय संविधान कार्य संचालन नियमावली के तहत आपका निर्देश जो परम्परा के अनुसार है, मान्यवर, स्वीकार्य है। रिपोर्ट आने के बाद उस पर चर्चा हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

जब रिपोर्ट आयेगी तब चर्चा होगी।

श्री अध्यक्ष-

जब रिपोर्ट आयेगी तब चर्चा होगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, [X X X]

श्री अध्यक्ष-

यह सब नहीं लिखा जायेगा। एक परम्परा के अनुसार होगा। यह परम्परा के विपरीत इस तरह से नहीं होगा। चलिये बैठिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हम तैयार हैं, चर्चा के लिये मैं बैठा हूं लेकिन मान्यवर, एक परम्परा है। यहां पर आपकी पीठ का उल्लंघन होगा।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, बैठिये। अब बस तैयारी वेल में आने की और कोई हथियार नहीं है, एक यही हथियार है। खन्ना साहब अपना तो वही खड़े रहते हैं, इन लोगों को भेज देते है। देखिये आप यह बताइये। बाजपेयी जी, मेरी भी सुनो ना।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सदन के वेल में आ गये)

आप बात तो किसी की सुनते नहीं है। देखिये मैं बता रहा हूं यह जो सी0ए0जी0 की रिपोर्ट पर आप चर्चा कराना चाहते हैं। नियम यही है कि वह सदन के पटल पर रखा जाता है उसके बाद वह पी0ए0सी0 में जाता है। पी0ए0सी0 से जब रिपोर्ट आती है तो तब फिर उस पर चर्चा होती है। यही नियम है। उस नियम को आप न तोड़िये। चलिये इतनी बात आपकी आ गई। यह सी0ए0जी0 की रिपोर्ट पी0ए0सी0 से जब लौटेगी तब आप जितना बहस करियेगा हो जायेगा।

(सदस्यगण सदन के वेल में खड़े होकर नारे लगाने लगे)

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह दोनों मिलकर उस पर चर्चा नहीं करवाना चाहते। यह चर्चा सबसे महत्वपूर्ण है। मान्यवर, जब यह सदन के पटल के ऊपर आ गई तो पब्लिक हो गई। मीडिया में भी आ गई और मीडिया के माध्यम से जब पब्लिक हो गई तो जनता को पता होना चाहिये कि जनता की गाढ़ी कमाई का कितना पैसा स्मारकों पर खर्च हुआ। यह हजारों करोड़ों रुपया स्मारकों पर खर्च हुआ है।

नोट [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया।

(सदस्यों के सदन के वेल में खड़े होकर बोलते रहने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

इसके लिये भ्रष्टाचार निवारण या तमाम एजेन्सी है, उनके पास जाइये। विधान सभा की जो परिपाटी है उसको मत मिटाइये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह इन्होंने जो टू जी इक्सप्रेक्ट्रम के मामले में पूरे देश को भ्रमित किया था। ऐसा ही कुछ यह उत्तर प्रदेश में भी करना चाहते हैं। यह टू जी नहीं है मान्यवर। यह टू जी नहीं है। यह साधु सन्तों की बद्दुआ भी लेने वाले है। यह पूरे देश के वह सारे श्रद्धालु जो आये और बहुत खुश गये, विदेशों तक में जिसकी प्रशंसा हुई, यह उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मान्यवर, यह बिल्कुल अधर्मी हो गये हैं। इन्होंने धर्म ही छोड़ दिया सत्ता के लिये। इनका सत्ता ही धर्म हो गया। इसी गंगा में डूबने के लिये तैयार है। चलो बाजपेयी जी साथ-साथ डूबेंगे।

चलो बाजपेयी जी के साथ-साथ डूबेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी सदन के फ्लोर से-

जनता के बीच में यह विषय जा चुका है मीडिया के माध्यम से आम आदमी यह जानना चाहता है कि स्मारकों में क्या घोटाला हुआ...

श्री अध्यक्ष-

अपना स्थान ग्रहण करें।

अनेकानेक मा0 सदस्य सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे-

सपा, बसपा, कांग्रेस चोर-चोर मौसेरे भाई,

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी सदन के फ्लोर से-

चार करोड़ रुपया सांस्कृतिक कार्यक्रम में लगा दिया गया। इसको कृपा करके नियम-56 में स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी)

(01 बजे डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया है।)

(01 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया है।)

(01 बजकर 30 मिनट पर विधान सभा की बैठक श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, कुम्भ मेले के सम्बन्ध में सी0ए0जी0 ने अपनी रिपोर्ट पेश की है,

श्री अध्यक्ष-

अरे वह तो बता दिया, वह तो हो गया, अब उसको क्यों कह रहे हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

कहां हो गया मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है, हम लोगों की मांग है कि इसकी जांच के लिए संयुक्त विधान मण्डल समिति का गठन किया जाय। मान्यवर, धरम, करम के मामले में भी अनियमितता और भ्रष्टाचार किया गया है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, अभी हमारी बात चल रही थी, अगर आपको उसके ऊपर सुनना है तो पहले हमारी बात सुन लें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आकर अपनी-अपनी बात कहने लगे, जिससे घोर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गयी।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

नहीं, अब इस पर किसी को नहीं सुना जायेगा, क्योंकि यह पी0ए0सी0 के पास जायेगा, वहीं से होगा। अब नहीं सुना जायेगा और न यह लिखा जायेगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह (सदन के वेल से)-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, एक बार जब बता दिया। अच्छा आप नियम जानते हैं ? आप नियमों को जानते हैं कि यह पी0ए0सी0 में जायेगा, पी0ए0सी0 से लिख कर आयेगा। अब चलिये अपने-अपने स्थान पर। अब सदन की कार्यवाही आगे चलने दीजिए।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह (सदन के वेल से)-

[X X X]

श्री अध्यक्ष-

नहीं अब यह नहीं सुना जायेगा और न ही यह लिखा जायेगा।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था आने के बाद, इस पर सुनने का कोई औचित्य नहीं बनता। ये लोग चाहते हैं कि यहां पर टू0जी0 एक्सपेक्ट्रम और कारगिल शहीद के ताबूत घोटाले की भी बात का चर्चा किया जाय, इसीलिए यह लोग मामला उठाना चाहते हैं। मान्यवर, यह अच्छी बात नहीं है, आपकी व्यवस्था आने के बाद इस पर चर्चा का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

कुछ भी नहीं लिखा जायेगा और न ही यह कार्यवाही का अंग माना जायेगा। आपने अपनी बात कही थी, मैंने नाम पढ़ दिया था आप लोगों का और पहले ही व्यवस्था दे दी, इसलिए अब नहीं।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रदीप माथुर-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

हित का सवाल नहीं है, नियमों का सवाल है, यह सदन नियमों से चलेगा या आप जो चाहेंगे वह होगा। नियम यह है कि यह मामला पी0ए0सी0 में जायेगा, पी0ए0सी0 उसकी छान-बीन करेगी, फिर वह सदन में अपनी रिपोर्ट देगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, इनकी यह मांग, पीठ का अपमान है। जब आपकी व्यवस्था आ गई है, आपके अधीन समितियां बनती हैं, आपके निर्देश पर समितियों का गठन होता है, तो हम समझते हैं इनको, पीठ के सम्मान को ध्यान में रखते हुए आपकी व्यवस्था को मानना चाहिए और साथ ही साथ मान्यवर, जो पी0ए0सी0 और पी0यू0सी0 की जांच रिपोर्ट आये, तो उस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मौर्या जी, आप तो बैठिये, आप क्यों बोल रहे हैं।

*श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने हाथ मिला लिया है सत्ता पक्ष से, इसीलिए दोनों एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, चाहे महाकुम्भ का मामला हो, चाहे स्मारक घोटालों का मामला हो। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामले हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए और इसकी जांच के लिए संयुक्त विधान मण्डल समिति का गठन होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा यह बताइये, आप बजट पर चर्चा कराना चाहते हैं ? चर्चा नहीं कराना चाहते हों, तो हम बजट को पास करा दें अब हो गया, अब आप लोग अपने-अपने स्थान पर जाएं।

दूसरी सूचना थी डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी की। डा0 अग्रवाल जी आप नियम-56 की सूचना पर बोलेंगे ? अगर बोलना चाहते हैं, तो बोलो।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपना प्रस्ताव रखने की अनुमति प्रदान की इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, आप स्वयं पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर में रामगढ़ ताल झील है, अगर इसका सही तरीके से विकास हो जाय तो यह देश में और उत्तर प्रदेश में पर्यटन का एक बहुत बड़ा साधन होगी। अध्यक्ष जी, आप जानते हैं इस बात को सरकार ने भी रुचि ली है।...

(घोर व्यवधान के मध्य)

(कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन के वेल में खड़े रहे और बोलने का प्रयास करते रहे)

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भारत सरकार और यह सरकार मिलकर के 125 करोड़ की एक योजना स्वीकृत हुयी थी। इस योजना में 2008 में कार्य प्रारम्भ हुआ था। अध्यक्ष महोदय, 2011 में इस काम को पूरा हो जाना चाहिये था। 3 साल हो गये अभी तक यह काम पूरा नहीं हुआ और इसकी लागत बढ़ती चली जा रही है। जब योजना स्वीकृत हुयी तो इसकी लागत 125 करोड़ रुपये थी लेकिन आज इसकी लागत 196 करोड़ हो गयी अर्थात् कुल मिला करके राज्य सरकार को जो 37.5 करोड़ रुपये देने थे, आज राज्य राज्य को 109 करोड़ रुपये देने पड़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज इस योजना में राज्य सरकार की लागत 37.5 करोड़ से बढ़कर 109 करोड़ हो गयी है।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, आप लोगों ने अपना विरोध जता दिया। इसके बहुत तरीके हैं। अब आप लोग वापस जाइये।

(कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन के वेल में लगातार खड़े रहे और विधान मण्डल की संयुक्त समिति गठित करने की मांग करते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, यह अत्यन्त आवश्यक है। यह बहुत जरुरी है कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार द्वारा लापरवाही की जा रही है, उस लापरवाही को समाप्त किया जाये। अध्यक्ष जी, जवाब दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर ले रहा हूं, बैठिये। अब आप कृपा करके चलो न।

(कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन के वेल में लगातार खड़े रहे और विधान मण्डल की संयुक्त समिति गठित करने की मांग के पोस्टर दिखाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये। ये जो वर्तमान में जो बीच में है कुम्भ मेले में रेल की दुर्व्यवस्था के कारण रेल दुर्घटना हुयी। कांग्रेस की सरकार थी तो रेल दुर्घटना हुयी। इस तरह से ये तो दोनों लोग शामिल और जिम्मेवार है। ये इनकी अपनी योजना है इसीलिये ये यहां पर खड़े हुये हैं। कुंभ मेले का जो प्रकरण था वह रेल विभाग से भी सम्बन्धित था, उस समय इनकी सरकार थी, उस समय रेल विभाग इन्हीं की सरकार में था। मान्यवर, ये तीनों मिलकर नहीं चाहते कि इसके ऊपर चर्चा हो।

श्री अध्यक्ष-

हम सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिये स्थगित करते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 01 बजकटर 37 मिनट पर सदन की कार्यवाही 05 मिनट के लिए स्थगित कर दी)

(01 बजकर 42 मिनट पर विधान सभा की बैठक श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

(''संयुक्त विधान मण्डल समिति का गठन'' हो के पोस्टर हाथ में लिये हुए कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा वेल में खड़े होकर नारेबाजी करने से व्यवधान की स्थिति।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अब फिर चले आए पंकज कुमार मलिक। आप लोग चले।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, [x x x]

श्री अध्यक्ष-

अब इनका कुछ भी नहीं लिखा जायेगा, मैंने पहले ही व्यवस्था दे दी है। आप लोग चलें। दूसरा नियम-56 की सूचना श्री दलवीर सिह की है। श्री दलवीर सिंह जी हैं (सदस्य का नाम पुकारे जाने पर सदन में अनुपस्थित)। वे यहां पर उपस्थित नहीं है। तीसरा है, श्रीमती सीमा द्विवेदी का (मा0 सदस्या का नाम पुकारे जाने पर सदन में अनुपस्थित।)

अब मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपनी सीटों पर चले, अभी बजट लेना है, और मा0 सदस्यों को बोलना है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, नियम-56 के अन्तर्गत श्री गुटियारी लाल दुबेश जी की सूचना है मान्यवर, उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दें, जिससे कि उस पर प्रभावी कार्यवाही हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

हो गया, ध्यान आकृष्ट हो गया, अब आप बैठिए।

[01-44] वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,58,01,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा वेल में खड़े होकर बोले जाने से शोर की स्थिति)

श्री अध्यक्ष-

अब कुछ भी आप लोगों का न तो लिखा जायेगा, न ही कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

खाद्य तथा रसद विभाग पर मा0 मनीष असीजा जी आप कटमोशन रखेंगे।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नेता विरोधी दल (स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, असीजा जी कटौती रख रहे हैं।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय, कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, आपने रख दिया है, छोड़िए, अब वह आयेगा नहीं आप बोल नहीं पायेंगे। अब मैं प्रश्न करता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सर्वश्री अजय कुमार लल्लू, अनुग्रह नारायण सिंह, पंकज कुमार मलिक, बंशी सिंह पहाड़िया, ललितेशपति त्रिपाठी, संजय कपूर आदि सदस्य सदन के वेल में खड़े होकर ''संयुक्त विधान मण्डल समिति का गठन करो'' के लिखित बैनर दिखाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,58,01,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[01-46] वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन (राज्य मंत्री) (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भगवत सरन गंगवार)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,79,80,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमती रजनी तिवारी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या-3 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने-अपने आसनों पर वापस जायें, माननीय मौर्या जी इन लोगों को इनके आसनों तक जाने के लिए कहें।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, आप सदन को व्यवस्थित करायें, और इस तरह से अनुदान की मांगों को पारित कराने से क्या फायदा होगा ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-3 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाला वर्ष में अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,79,80,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[01-47] वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान
अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,85,85,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर, एक रुपया कर दी जाय। कमी करने के उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,85,85,75,000 रुपये से अनधिक धनरशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[01-50] वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान
अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 97,78,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

इस मद में कोई विवाद नहीं होगा इसजिलए मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 97,78,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[01-51] वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान
अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,57,15,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरु भैय्या-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर, एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाला वर्ष में अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,57,15,53,000 रुपये से अनधिक धनरशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[01-51] कानपुर के बढ़ते हुए स्वरुप को दृष्टिगत रखते हुए कानपुर महानगर के दक्षिणी क्षेत्र को नया जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रिम चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

श्री सतीश महाना, सदस्य, विधान सभा का नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा, जारी रहेगी "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि कानपुर के बढ़ते हुए स्वरुप को दृष्टिगत रखते हुए कानपुर महानगर के दक्षिणी क्षेत्र को नया जिला बनाया जाय।" इस पर अग्रतर चर्चा जारी रहेगी।

[01-52] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 3---2014 को नियम-51 की कुल 68 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी की है वह उपस्थित नहीं है, दूसरा श्री बंशी सिंह पहाड़िया की वह उपस्थित नहीं है, तीसरी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) की जनपद मेरठ के परतापुर से मुजफ्फरनगर पर एन0एच0-58 पर टोल टैक्स की दरें बढ़ाये जाने एवं टोल कम्पनी द्वारा विकास कार्य पूर्ण कराने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, चौथी सूचना श्रीमती नजीबा खान जीनत की जनपद कासगंज के कतिपय ग्रामों का पुलिस प्रशासन एवं पुलिस नियंत्रण अन्य जनपदों एटा एवं बदायूं के क्षेत्राधिकार में समाप्त होने से ग्रामीणों को हुई असुविधा के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, पांचवी सूचना श्री राकेश बाबू की जनपद फिरोजाबाद के ग्राम विकास विभाग द्वारा टी0टी0एस0पी0 ग्राम प्रधान पेयजल योजना के अन्तर्गत पानी की टंकियों को चालू किये जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, छठीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के ग्राम निगोही में क्रय की गयी जमीन पर निर्माण कार्य रुकवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, सातवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर स्थित ग्राम तिरहा में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के रुके हुए निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध मे है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, आठवीं सूचना श्री गजराज सिंह की वह उपस्थित नहीं है, नवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा हिन्दवारी में कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत,

दसवीं सूचना श्री उमेश पाण्डेय की वह उपस्थित नहीं है, ग्यारहवीं सूचना श्री वीरपाल राठी की वह उपस्थित नहीं है, बारहवीं सूचना श्री संगीत सिंह सोम की मेरठ के सरधना में बस अड्डा बनाये जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत शेष निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं-

श्री जय प्रकाश अंचल, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री राजबली जैसल, श्री सुशील सिंह, श्री राजकुमार रावत, श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना', श्री गेंदालाल चौधरी, श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत, श्री ममतेश शाक्य, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री जन्मेजय सिंह, श्री राम चन्द्र यादव, श्री अगयश रामसरन वर्मा, श्री जगन प्रसाद गर्ग, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री पूर्णमासी देहाती, श्री गुटियारी लाल दुबेश, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री कालीचरन सुमन, श्री नीरज कुशवाहा मौर्य, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री मदन चौहान, श्री शेर बहादुर उर्फ शेरु भैय्या, श्रीमती रजनी तिवारी, श्री विजय कुमार पासवान, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री गजेन्द्र सिंह, श्री चन्द्र भान सिंह पटेल, श्री मित्रसेन यादव, श्री अजय कुमार लल्लू, श्री दिलनवाज खान, श्री गयादीन अनुरागी, श्री दलजीत सिंह, श्री विजय कुमार दूबे, श्री ललितेश पति त्रिपाठी, श्री प्रदीप माथुर, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री सुदेश शर्मा, श्री उमाशंकर, श्री बृजेश कुमार, श्री अनिल कुमार, श्री सन्तराम कुशवाहा, श्री वीर सिंह, श्री राम सरन, श्री रामहेत भारती, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री इन्द्रजीत सरोज, डा0 अरुण कुमार, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद जालौन में वर्ष 1984 के दंगा पीड़ित परिवार को पुनर्वास पैकेज एवं आर्थिक अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में श्री गयादीन अनुरागी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

शासनादेश संख्या-1317/के/छः-सानिप्र-2006-200(15)/2000, दिनांक 22-7-2006 द्वारा वर्ष...

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा (राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[1984 के दंगा पीड़ित के दावों के निस्तारण हेतु मण्डलायुक्त, कानपुर अपर आयुक्त प्रशासन कानपुर, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) कानपुर सदस्य है। यह उच्चस्तरीय समिति निर्धारित मानकों के अनुरूप दावों के भुगतान करने अथवा भुगतान न करने की संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी जाती है। उक्त संस्तुति के क्रम में शासन द्वारा अन्तिम आदेश पारित किया जाता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री हरजीत सिंह पुत्र स्व0 सेवा सिंह, निवासी-चौरासी कोरी क्वार्टर, रेलवे स्टेशन उरई, जनपद-जालौन द्वारा प्रस्तुत दावे का परीक्षण भी उपरोक्तानुसार गठित 04 सदस्यीय समिति द्वारा किया गया। दावाकर्ता श्री हरजीत सिंह पुत्र स्व0 सेवा सिंह के दावे को निस्तारण करते हुये समिति द्वारा निम्नवत् संस्तुति की गयी :--

''शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1317के/छः-सानिप्र-2006-200/2000, लखनऊ, दिनांक 22-7-2006 प्रदत्त व्यवस्था अनुसार उप जिला मजिस्ट्रेट, उरई की की रिपोर्ट दिनांक 28-2-2007 प्राप्त की गयी। उक्त जांच आख्या के आधार पर जिलाधिकारी, उरई द्वारा इनके दावों को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।

समिति ने जिला मजिस्ट्रेट, उरई द्वारा प्रस्तुत संस्तुति/अभिलेख एवं साक्ष्यों का गहन अनुशीलन एवं परीक्षण किया। जिला मजिस्ट्रेट, उरई की संस्तुति में दावेदार को कोई भी सहायता धनराशि देय नहीं है तथा यह भी उल्लेख किया है कि पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा रु0 2000/- आर्थिक सहायता के रूप में दी गयी न कि प्रतिकर के रूप में दी गयी है। अतः समिति जिलाधिकारी की आख्या से सहमत होते हुये श्री हरजीत सिंह पुत्र स्व0 सेवा सिंह, निवासी-स्टेशन रोड, कोरी बिल्डिंग, 41 उरई जिला-जालौन के दावों को बलहीन पाते हुए निरस्त किये जाने की संस्तुति करती है।''

मण्डलायुक्त, कानपुर के अधीन गठित 04 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति की उपरोक्त संस्तुति को यथावत स्वीकार करते हुये दावाकर्ता श्री हरजीत सिंह पुत्र स्व0 सेवा सिंह के दावे को बलहीन एवं औचित्य पूर्ण न पाये जाने की स्थिति में शासनादेश संख्या-1912/छः-सानिप्र-100(30)/2007, दिनांक 10-09-2007 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।]

जनपद इलाहाबाद के ग्राम सभा मेजा के पारस नाथ के अराजी सं0-289 पर अवैध निर्माण रोके जाने के सम्बन्ध में श्री राजबली जैसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्री राजबली जैसल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 30-06-2014 को यह सूचना दी गयी है .....

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा (राज्य मंत्री, स्वतन्त्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

<u>सूचनाः-</u>

[कि जनपद इलाहाबाद में विधान सभा क्षेत्र कोरांव के तहसील मेजा अन्तर्गत ग्रामसभा मेजा के पारसनाथ पुत्र स्व0 छोटे लाल ने उप जिलाधिकारी, मेजा के यहां कई बार निवेदन किया कि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आराजी सं0 289 ख जिस पर न्यायालय द्वारा नवैयत को परिवर्तित न करने का आदेश पारित किया है। अभी मामला न्यायालय में विचाराधीन है परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त जमीन पर जबरन निर्माण किया जा रहा है परन्तु उप जिलाधिकारी आदेश तो कर देते हैं परन्तु उनके अधीनस्थ कर्मचारी एवं अधिकारी द्वारा विपक्षी से मिलकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिससे न्यायालय के आदेश का उल्लघंन तथा वादी को भी परेशान किया जा रहा है। जिससे वादी का पूरा परिवार मानसिक रूप से परेशान है। जिस कारण गांव के लोगों तथा वादी के मन में भी आक्रोश जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से उक्त पारसनाथ पुत्र स्व0 छोटेलाल के आराजी सं0 289 ख पर अवैध निर्माण रोकने तथा अवैध कब्जे को खाली कराने की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम मेजा खास तहसील मेजा जनपद इलाहाबाद खतौनी वर्ष 1417 फसली लगायत 1422 फसली में आराजी सं0-289 ख रकबा 0.342 हे0 श्री छोटेलाल पुत्र राम सुन्दर के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है, श्री पारसनाथ इन्ही के पुत्र हैं। इस आराजी पर किसी भी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण नहीं है। आराजी सं0 289ख को मिलाकर कुल 10 गाटा जिनका कुल रकबा 9.816 हे0 पर उप जिलाधिकारी मेजा के न्यायालय में वाद सं0-289/55/70 वर्ष 2003 सखी शान्ती देवी बनाम श्रीमती दुखना देवी व अन्य धारा 176 ज0वि0 अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है, जिसमें प्रतिवादियों के जबाव हेतु दिनांक 8-7-2014 की तिथि नियम है। इस वाद में कोई स्थगनादेश न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया है। गाटा सं0-289 विभिन्न खाता एवं गाटा में कुल रकबा 9.787 हे0 है, जो नक्शे में तरमीम नहीं है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पक्षों को निर्देशित किया गया है कि न्यायालय में उपस्थित मुकदमों में चारा-जोई करें तथा वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई पक्का/कच्चा निर्माण नहीं करेंगे और न ही इसकी नवैयत बदलेंगे।]

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध श्री कृष्णा पाल सिंह राजपूत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना में यह बिन्दु उठाया गया है कि जनपद झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना .....

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा (राज्य मंत्री, स्वतन्त्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[में ग्राम पंचायत-बुढ़पुरा के धरमपुरा, हरपालपुर, पाल मुहल्ला एवं आदिवासी बस्ती तथा ग्राम पंचायत-बबीना रूरल के गोंची खेड़ा, मुखिया मुहल्ला एवं शास्त्री नगर आदि मुहल्लों में आज तक विद्युतीकरण नहीं कराया गया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आख्या- जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्राम पंचायत-बुढ़पुरा का मजरा हरपालपुर, राजीव गांधी ग्रामीण 12वीं विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित है, ग्राम पंचायत बबीना रूरल के गोंचीखेड़ा, शास्त्रीनगर आंशिक विद्युतीकृत है, शेष ग्राम पंचायत बुढ़पुरा के मजरा धरमपुरा, पाल मुहल्ला, आदिवासी बस्ती तथा ग्राम पंचायत बबीना रूरल के मुखिया मुहल्ला का सुचीकरण जनगणना के सेन्सस कोड 2011 के अनुसार बसावटों की तालिका में न होने के कारण राजीव गांधी ग्रामीण 12वीं विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। भविष्य में अन्य योजना में सम्मिलित होने पर विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।]

जनपद बलिया की तहसील बिलवारा रोड, दोवा में चकरोड पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह मद स्थगित है।

जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत आने वाले विद्युत उपकेन्द्र द्वारा विद्युत आपूर्ति 4 घण्टे किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मेरे विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत आने वाले विद्युत उपकेन्द्र खास पुरकाजी, बरला, शेरपुर खरदार .....

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा (राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[रुड़की चंगी, रोहना कला व गढ़ी पचेण्डा आदि फीडरों में रोस्टर के अनुरूप विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है। देहात स्थित उपकेन्द्र 4 और 5 घण्टे और शहर क्षेत्र स्थित 8 से 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति हो रही है। क्षेत्रीय जनता द्वारा रोजाना धरना प्रदर्शन और अधिकारियों के घेराव की स्थिति रहती है जिस कारण वहां की जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे सरकार के प्रति क्षेत्रीय जनता में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

इस संदर्भ में अवगत कराना है कि वर्तमान में जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के ग्रामीण एवं तहसील स्तरीय शहरी क्षेत्रों को 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति का कार्यक्रम आदेशित है। जनपद मुख्यालय को 15 घण्टे आपूर्ति कार्यक्रम आदेशित है। विद्युत की मांग में अत्यधिक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बढ़ोत्तरी एवं उपलब्धता में कमी के कारण राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में कभी-कभी आकस्मिक कटौती करनी पड़ जाती है। स्थिति सामान्य होने पर आपूर्ति पूर्व की भांति कर दी जाती है।]

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों को अतिभारित होने से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना में यह बिन्दु उठाया गया है कि 36 बिलासपुर, रामपुर विधान सभा क्षेत्र कृषि प्रधान है .....

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा (राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[तथा यहां से जनपद-रामपुर को सबसे अधिक राजस्व जाता है तथा यहां पर काफी संख्या में लघु उद्योग भी लगे हैं। मगर इसके बावजूद भी सरकार का कोई ध्यान इस परेशानी की ओर नहीं है। यहां के सभी विद्युत उपकेन्द्र अतिभारित हैं। बार-बार प्रयास के बावजूद भी यहां की विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिये अभी तक कोई सार्थक कार्यवाही नहीं की गयी है। क्षेत्र की जनता तहसील मुख्यालय पर एवं अपने विद्युत उपकेन्द्रों पर रोज धरने व प्रदर्शन कर रही है। किसानों की सिंचाई व लघु उद्योग पूरी तरह बाधित है तथा इस समय रमजान का महीना है तथा उ0प्र0 में सबसे अधिक अल्पसंख्यक समाज की जनसंख्या जनपद-रामपुर की है। उनको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आज भी क्षेत्र की जनता धरने पर बैठने जा रही है। यहां के सभी विद्युत उपकेन्दों के अतिभारित होने से जनता को विद्युत आपूर्ति बहुत ही कम मिल पा रही है जिससे जनता में भारी रोष व नाराजगी व्याप्त है। यदि मेरे विधान सभा क्षेत्र के सभी अतिभारित विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि नहीं की गई तो कोई बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती है। इसको रोकने में अविलम्ब विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि होना नितांत आवश्यक है।

आख्या-वर्तमान में जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र भोट की क्षमता वृद्धि की स्वीकृति आर0ई0सी0 से आर0जी0जी0वी0वाई0 (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत प्राप्त हो चुकी है। 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र केमरी, बिलासपुर, बेगमाबाद, गोदी की क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। तहसील बिलासपुर हेतु 33/11 के0वी0 के 03 नग नये उपकेन्द्रों तहसील मुख्यालय, रुद्रपुर बार्डर, माटखेड़ा के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसमें 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र माटखेड़ा पर निर्माण चल रहा है। इन उपकेन्द्रों के निर्माण के उपरान्त 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बिलासपुर, अशोक नगर एवं डिबडिबा से इन नये उपकेन्द्रों पर भार अन्तरित होगा, जिससे उपकेन्द्रों की अतिभारिता समाप्त हो सकेगी। वर्तमान में अतिभारित उपकेन्द्रों को डबल ग्रुप में शिड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

प्रदीप कुमार दुबे,

दिनांक 03 जुलाई, 2014

प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0एल0-181 विधान सभा (315)-11-11-2014-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।